

## उत्पादन के क्षेत्र (Sectors Of Production) :-

1. Primary Sector
2. Secondary Sector
3. Tertiary Sector
4. Quaternary Sector
5. Quinary Sector

### Agriculture Sector

1. Primary Sector :- वे वस्तुएँ जिनका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है।  
 e.g. कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि

→ भारत में माइनिंग और विद्युत उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है।

### Industrial Sector

2. Secondary Sector :- निर्माण एवं विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है।  
 e.g. उद्योग तथा निर्माण कार्य (भवन, सड़क, पुल, फ्रीज etc.)

3. Tertiary Sector / Service Sector :- इसके अन्तर्गत सेवाओं को रखा जाता है।  
 e.g. बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, होटल, परिवहन etc.

4. Quaternary Sector :- बौद्धिक सेवाओं को इसके अन्तर्गत रखा जाता है।  
 e.g. उच्च शिक्षा, रिसर्च, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, परामर्शदात्री सेवाएँ

Secondary Sector,  
Tertiary Sector

30%  
53%

25%  
25%

PAGE NO.: 2  
DATE: 04/07/18


5. Quinary Sector :- उच्च स्तरीय राजनैतिक व आर्थिक निर्णयन से सम्बन्धित सेवाएँ  
e.g. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीकरशाह, मंत्री, CEO's, मैम्बर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मण्डल के सदस्य)

→ ऑस्ट्रेलिया में क्वाइनरी सेक्टर के अन्तर्गत घरेलू कार्यों को रखा जाता है।



Factors Of Production (उत्पादन के साधन) :-  
cost

- |   |              |   |          |
|---|--------------|---|----------|
| ① | Land         | - | Rent     |
| ② | Labor        | - | Wages    |
| ③ | Capital      | - | Interest |
| ④ | Entrepreneur | - | Profit   |

Rule Of Demand :- कीमत व माँग में नकारात्मक संबंध होता है। अर्थात् कीमत बढ़ने पर माँग कम होती है।



Rule Of Supply :- कीमत एवं आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है अर्थात् जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी आपूर्ति भी अधिक होती है।



जहाँ क्रेता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं, वहाँ कीमत निर्धारित होती है।

### Exceptions of Rule of Demand:-

1. बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएँ :-  
इनकी माँग कीमत से प्रभावित नहीं होती।  
नमक, औषधियाँ

e.g.

2. Giffen Goods :- वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तुओं की माँग भी बढ़ती है।

e.g.	गेहूँ	बाजरा	30 ₹ व 2 Kg.
	20 ₹/kg.	10 ₹/kg.	
	30 ₹/kg.	15 ₹/kg.	

3. Veblen Goods :- सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुएँ चूँकि अधिक महँगी होती हैं इसलिए उनकी माँग होती है।

4. Fashionable Goods

1. मॉड्रिक नीति :-
  - बैंकिंग
  - शेयर बाजार
  - मुद्रास्फीति
  
2. राजकोषीय नीति :-
  - बजट
  - करसौपण
  - घाटे
  
3. Trade Policy :-
  - मुगतान सन्तुलन
  - विदेशी निवेश ( FDI एवं FPI )
  - रूपये की विनिमय दर
  - विदेशी मुद्रा भण्डार
  - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ( विश्व बैंक , IMF, WTO etc. )
  
4. राष्ट्रीय आय / Economic Growth :-
  - GDP, GNP, NNP, GVA etc.
  
5. Economic Development :-
  - HDR ( HDI, THDI, GII, MPI )
  
6. Poverty
7. Unemployment
8. Agriculture
9. Industry
10. Planning



बैंकिंग :-

- \* 1770 ई. - बैंक ऑफ हिन्दुस्तान  
भारत में स्थापित पहला बैंक
- \* 1881 ई. - अवध कमर्शियल बैंक  
भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक
- \* 1894 ई. - पंजाब नेशनल बैंक  
पहला भारतीय बैंक / स्वदेशी बैंक

History Of SBI :-

- 1806 ई. - बैंक ऑफ बंगाल
- 1840 ई. - बैंक ऑफ बॉम्बे
- 1843 ई. - बैंक ऑफ मद्रास
- \* इन तीन बैंकों की स्थापना यहाँ की प्रेजीडेन्सी सरकारों ने की इसलिए इन्हें प्रेजीडेन्सियल बैंक कहते हैं।
- 1921 ई. - इन प्रेजीडेन्सियल बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इसका नया नाम Imperial Bank Of India रखा गया।
- 1955 ई. - इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नया नाम State Bank Of India रखा। इसका स्वामित्व RBI के पास था।
- \* 2008 में भारत सरकार ने RBI से SBI को खरीद लिया
- 1959 ई. - रियासतों की बैंकों को SBI का सहायक बैंक बना दिया गया।

\* SBI के उस समय 8 सहायक बैंक थे।

1961 ई. - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर दिया गया तथा नया नाम SBBJ रखा।

2008 ई. - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में कर दिया गया।

2010 ई. - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में कर दिया गया।

2017 ई. - इसमें शेष सभी 5 बैंकों का विलय SBI में कर दिया गया (SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर)

RBI

IDBI - 1976 में भारत सरकार ने खरीद लिया

SBI - 2008 " " "

NABARD - 2010 " " "

NHB

DICGC

अनुसूचित बैंक :- वे बैंक जिनका उल्लेख RBI के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया जाता है।

→ अनुसूचित बैंक के लिए 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए।

→ RBI के सभी नियम तथा विनियम इन पर लागू होते हैं।

→ ये RBI से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। [सहायताएँ]

## Nationalise Bank :-

- 1969 ई. - इन्दिरा गाँधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी पूँजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी।
- 1980 ई. - इन्दिरा गाँधी सरकार ने 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
- 1993 ई. - न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया।

→ वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।

## Regional Rural Bank :-

2 Oct, 1975 - 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

- कालान्तर में RRB की संख्या बढ़कर 196 हो गई।
- उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना
- सिविकम व गौवा में RRB नहीं थी।
- अधिकांश RRB घाटे में चल रहे थे इसलिए अब इनका विलय अन्य वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है।
- RBI ने नियम बनाया है कि बैंकों की 25% नई शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में होनी आवश्यक हैं। अनुयुचित
- RRB केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक का संयुक्त उपक्रम होती है।

केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी = 50 %

राज्य " " " " = 15 %

वाणिज्यिक बैंकों " " " " = 35 %

## सहकारी बैंक

## वाणिज्यिक बैंक

① ये राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से स्थापित होते हैं।

① ये संसदीय अधिनियम से स्थापित होते हैं।

② ये त्रिस्तरीय ढांचा हैं।

② ये एकस्तरीय ढांचा हैं।

APEX Bank - राज्य

Central Bank - जिला

Cooperative - ग्राम पंचायत  
Society

③ इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है।

③ इनका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होता।

④ ये अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते।

④ ये अनुसूचित बैंक हैं।

⑤ ये NABARD से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

⑤ ये RBI से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

⑥ RBI इनके लिए नियम-विनियम बनाता है।

⑥ RBI इनके लिए नियम-विनियम बनाता है।

[ 2005 से ]

## RESERVE BANK OF INDIA :-

- स्थापना = 1 April, 1935
- यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई।
- RBI अधिनियम, 1935 से इसकी स्थापना हुई।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था।
- स्थापना के समय से ही यह एक केन्द्रीय बैंक था।
- स्थापना के समय यह निजी क्षेत्र का बैंक था।
- 1 Jan., 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- इसने कुछ समय के लिए इसने पाकिस्तान व बर्मा के लिए भी नोट जारी किए।

↓  
1935

### Functions Of RBI :-

- ★ नोटों का निर्गमन (issue) करना
- 2 ₹ व इससे अधिक मूल्य के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं।
- 1 ₹ का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है।
- 1 ₹ के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
- 1 ₹ का नोट और सिक्कों को बाजार में लाने का काम RBI का है।

Gold Reserve System

↓  
Proportional Reserve System

↓  
Minimum Reserve System

- RBI, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोट जारी करता है।
- इसके तहत RBI को 200 करोड़ रुपये के मिनिमम रिजर्व रखने होते हैं।

→ 200 करोड़ रु. = 115 करोड़ रु. का Gold + 85 करोड़ का Other Assets

★ बैंको की विनियामक संस्था है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियम - विनियम बनाता है। उन्हें लागू करवाता है।

→ जो बैंक इन नियमों का पालन नहीं करता है, उनके विरुद्ध यह कार्यवाही करता है।

→ यह बैंको को मान्यताएँ (लाइसेंस) देता है।

→ बैंको / बैंकिंग क्षेत्र का विकास RBI की जिम्मेदारी है।

★ ये भारत सरकार का Banker है।

→ भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के घरेलु ऋणों की व्यवस्था करता है।

→ 2016 में सरकार ने वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत Public Debt Management Cell का गठन किया है जो एक अस्थायी निकाय है।

→ कालान्तर में इसके स्थान पर Public Debt Management Agency का गठन किया जायेगा जो भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के ऋण की व्यवस्था करेगी।

★ RBI विदेशी मुद्रा भण्डार का संरक्षण करता है।

→ वर्तमान में RBI के पास 525 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भण्डार है।

→ विदेशी मुद्रा भण्डार में निम्न सम्मिलित है :-

1. Foreign Assets ( \$, यूरो, etc.)
2. Gold
3. Reserve Tranche ( Our deposits in IMF)
4. SDR ( Special Drawing Rights)

\* यह रुपये की विनिमय दर का प्रबंधन करता है।

\* RBI बैंकों को Clearing House की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

\* बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है।

→ बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए यह दो प्रकार के उपाय करता है :-

① मात्रात्मक उपाय (Quantitative Measures)

② गुणात्मक उपाय (Qualitative Measures)

① Quantitative Measures :-

(i) Bank Rate

(ii) CRR

(iii) SLR

(iv) Repo Rate

(v) Reverse repo rate

(vi) MSF Rate (Marginal Standing Facility Rate)

(vii) Open Market Operation

(i) Bank Rate :- वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है।

→ इसे Penal Rate भी कहते हैं क्योंकि जो बैंक RBI के नियमों का पालन नहीं करते, उनसे RBI यह ब्याज दर वसूलता है।

(ii) Cash Reserve Ratio :- सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं (Liabilities) का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा कराना होता है, जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं देता।

→ ये आपात स्थितियों के लिए होता है।

(iii) **Statutory Liquidity Ratio :-** सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों (Liquid Assets) के रूप में रखना होता है।

- वर्तमान में यह 19.5% है।
- सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश करना आवश्यक है।

**Liquidity Adjustment Facility (L.A.F.) :-**

- यह सुविधा RBI ने 2000 में आरंभ की।
- इसके तहत रेपो बाजार को विकसित किया गया।
- Full form of Repo - Repurchase Option
- रेपो मार्केट ⇒ यदि धन का विक्रेता एक निश्चित समय के बाद अपने धन को खरीदने का विकल्प अपने पास सुरक्षित रखता है, <sup>युनः</sup> इसे रेपो बाजार कहते हैं।
- \* भारत में RBI व बैंकों के बीच अल्पकालिक लेंदेन को रेपो मार्केट कहते हैं।
- \* इस लेंदेन के दौरान प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी जाती हैं। (Mortgage)
- \* इसकी व्याज दरें रिवर्स रेपो रेट व रेपो रेट कहलाती हैं।

(iv) **Repo Rate :-** वह व्याज दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाती है।

- रेपो बाजार के तहत बैंक, RBI से कम से कम 5 करोड़ रुपये ले सकता है।



(v) Reverse Repo Rate :- यह ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन RBI के पास जमा कराते हैं।

(vi) M.S.F. Rate (Marginal Standing Facility) :-

- \* यह सुविधा RBI में 2011 में आरम्भ की।
- \* यह सुविधा केवल मुम्बई में उपलब्ध है।
- \* इस सुविधा के तहत RBI बैंकों को एक दिन या एक रात के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है।
- \* बैंक को कम से कम 1 करोड़ का ऋण लेना होता है।
- \* इससे अधिक यह 1 करोड़ के गुणक में हो सकता है।
- \* यह अधिकतम बैंक की कुल जमाओं (मांग जमा व अवधि जमा) का 1% हो सकता है।
- \* इसे Penal Rate भी कहते हैं।
- \* यह रेपो रेट से अधिक होती है [0.25% अधिक]
- \* M.S.F. की सुविधा में बैंक S.L.R. के तहत रखी गई प्रतिभूतियों का प्रयोग कर सकती है जबकि रेपो मार्केट में इन प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकती।

(vii) Open Market Operation :-

- बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए यह RBI का एक अतिरिक्त उपकरण है।
- इसके तहत RBI प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है।
- यदि बाजार में तरलता अधिक है तो RBI प्रतिभूतियों की बिक्री करता है।
- यदि बाजार में तरलता कम है या Deflation की स्थिति है तो RBI प्रतिभूतियों को खरीदता है।

- रैपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है। जबकि खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है।
- यह रैपो बाजार की तुलना में एक दीर्घकालिक उपाय है। क्योंकि रैपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है जबकि इसमें प्रतिभूतियों को बेचा जाता है।

यदि मुद्रा स्फीति की स्थिति है तो उसे नियंत्रित करने के लिए RBI Bank Rate, CRR, SLR, Repo Rate, Reverse Repo Rate, M.S.F. Rate को बढ़ाती है।

यदि बाजार में मंदी / अवस्फीति की स्थिति है तो RBI Bank Rate, CRR, SLR, Repo Rate, Reverse Repo Rate, M.S.F. Rate को कम करती है।

## ② QUALITATIVE MEASURES:-

### (i) Margin Requirement:-


- इसके तहत Margin Money को कम या ज्यादा किया जाता है।
- यदि मुद्रा स्फीति की दर अधिक है तो उसे नियंत्रित करने के लिए Margin Money को बढ़ा दिया जाता है।
- यदि मंदी की स्थिति है तो मार्जिन मनी को कम किया जाता है।

### (ii) Consumer Credit Regulation:- (उपभोक्ता साख विनियमन)

- इसके तहत Down Payment की राशि को कम या ज्यादा किया जाता है।

- उच्च मुद्रा स्फीति की स्थिति में डाउन पैमेंट की राशि को बढ़ाया जाता है।
- मंदी की स्थिति में डाउन पैमेंट की राशि को कम किया जाता है।

(iii) Rationing Of Credit :-



- उच्च मुद्रा स्फीति की स्थिति में उपभोक्ताओं को ऋण कम दिया जाता है तथा निवेशकों को अधिक ऋण दिया जाता है।
- आर्थिक मंदी की स्थिति में उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है तथा निवेशकों को कम ऋण दिया जाता है।

(iv) Moral Suasion :-

- RBI बैंकों पर नैतिक दबाव उत्पन्न करती है।
- मुद्रा स्फीति के समय ऋण कम देने का दबाव बनाया जाता है जबकि मंदी की स्थिति में बैंकों पर अधिक ऋण देने का दबाव बनाया जाता है।

(v) Direct Action :-

→ इसमें RBI बैंको को निर्देश देता है तथा जो बैंक निर्देशों का पालन नहीं करता उनके खिलाफ कार्यवाही करता है।

# Priority Sector Lending :-

सभी बैंको को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% (18% कृषि {direct, Indirect}, 22% अन्य {Home Loans, ST/SC Micro Industries}) Priority Sector में देना आवश्यक है।

प्राथमिक ऋण क्षेत्र में निम्न को शामिल किया जाता है :-

- ① कृषि (18%)
  - ② छोटे व सीमान्त किसान (Small and Marginal Farmer)
  - ✓ ③ लघु व सूक्ष्म उद्योग
  - ④ SC व ST
  - ⑤ Home Loans (आवास ऋण)
    - महानगरों में - 35 लाख के ऋण
    - अन्य शहरों में - 25 लाख तक के ऋण
  - ⑥ शिक्षा ऋण
    - भारत में - 10 लाख
    - विदेश में - 20 लाख
  - ⑦ झुग्गी - झोपड़ी में रहने वाले योग
  - ⑧ NBFC - MFI (Non-banking Finance Company - Micro Finance Institution)
- 22% अन्य में दे सकते हैं।

## PSL Certificate :-

- 2016 में RBI ने बैंकों को PSL सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दी है।
- जो बैंक प्राथमिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य से अधिक ऋण देते हैं वे PSL सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।
- वे बैंक जो अपने PSL लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते वे इन PSL सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं और खरीद कर अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं।
- PSL सर्टिफिकेट 4 प्रकार के होते हैं :-

1. PSL Certificate for Agriculture
2. PSL Certificate for Marginal Farmer
3. PSL Certificate for Micro - Industries
4. PSL Certificate General

## # Capital Adequacy Ratio (CAR) :-

- सभी बैंकों को जोखिम युक्त परिसम्पत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत तक अपनी पूँजी को बनाए रखना होता है।
- यह लगभग 9-10 % के आसपास होती है।
- CAR का Concept बैसल मानकों से लिया गया है।

## # Bank for International Settlement (BIS) :-

- स्थापना - 1930 ई.
- मुख्यालय - BASEL (स्विट्जरलैंड)
- यह केन्द्रीय बैंकों का संगठन है।
- RBI इसका सदस्य 1996 ई. में बना।
- ये बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन

द्वैता है।

- बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए नीतियाँ व नियम बनाता है जो कि बैसल मानकों के नाम से जाने जाते हैं।
- अभी तक BASEL I (1998 ई.), BASEL II (2004 ई.), BASEL III (2010-11 ई.) जारी किए गए हैं।
- भारत में वर्तमान में BASEL III मानक लागू किए जा रहे हैं।
- ये 2013-19 के बीच लागू किए जा रहे हैं।

## Call Money Market :-

रोजमर्रा के लेन-देन के दौरान कुछ बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है वहीं कुछ अन्य बैंकों के पास अधिक/अतिरिक्त धन होता है, इस स्थिति में बैंकों के बीच जो लेन-देन होता है उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं।

- लेन-देन की सारी शर्तें फॉन कॉल पर निर्धारित होती हैं इसलिए इसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं।
- इसकी व्याज दर कॉल रेट कहलाती है।
- कॉल रेट को Reference Rate भी कहते हैं क्योंकि केन्द्रीय बैंक कॉल रेट को ध्यान में रखकर अपनी मौद्रिक नीति बनाती है।
- कॉल रेट में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते हैं।
- इसमें अधिकतम 14 दिनों के लिए धन लिया जा सकता है।
- लेकिन सामान्यतया 1 दिन के लिए ही धन लिया जाता है।
- लन्दन में दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। इसकी कॉल रेट LIBOR कहलाती है।

LIBOR → London Inter Bank Offer Rate

- भारत का कॉल मनी मार्केट मुम्बई है। इसकी कॉल रेट MIBOR कहलाती है।

MIBOR → Mumbai Inter Bank Offer Rate

## उजित पटेल कमेटी - 2014

- गठन : Dec. , 2013
- इसने 2014 में अपनी निम्न Recommendation दी -
- ★ RBI का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए - मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना
  - \* RBI को अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए
- e.g. GDP Growth Rate, Employment Generation, Export Promotion, Exchange rate of Rupee etc.
- ★ WPI के स्थान पर CPI को मुख्य सूचकांक बनाया जाना चाहिए।
  - ★ Targeting Inflation 4% होनी चाहिए।
  - \* यह  $\pm 2\%$  हो सकती है।
  - ★ मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिनों की बजाय 60 दिन के अन्तराल से की जानी चाहिए।
  - ★ मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए।
  - ★ मौद्रिक नीति समिति में 5 सदस्य होने चाहिए [ 3 RBI के सदस्य + 2 भारत सरकार के प्रतिनिधि ]
  - ★ मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। [ सरकार का खर्चा → जनता की आमदनी ]
  - \* सरकार को लोक कल्याणकारी कामों में कटौती करनी चाहिए। (नियंत्रित)  
मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम etc.
- e.g.
- ★ सरकार को FRBM Act, 2003 के लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए।



## मौद्रिक नीति समिति :-

- संसदीय अधिनियम के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।
- गठन : 2016
- इसमें 6 सदस्य हैं [ 3 सदस्य RBI { गवर्नर (Chairman) + उप गवर्नर + कार्यकारी निदेशक } + 3 सरकार के प्रतिनिधि { जो लाभ के पद पर न हों } ]
- ये समिति निर्णय बहुमत से लेती है।
- यदि बराबर मतदान हो तो गवर्नर निर्णायक मत दे सकता है।
- गवर्नर के पास Veto नहीं होगा।
- समिति की कार्यवाही में पूर्णतः पारदर्शिता होती है।
- 2 माह में कम से कम एक बार समिति की बैठक होना आवश्यक है।
- मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 माह से की जाती है।  
के अन्तराल
- Targeting Inflation 4% है जो कि  $\pm 2\%$  हो सकती है।
- यदि लगातार 9 माह तक मुद्रा स्फीति नियंत्रित नहीं होती है तो समिति को स्पष्टीकरण देना होगा [ क्यों नहीं हुई, कब तक होगी, कैसे होगी ]
- गणपूर्ति के लिए 4 सदस्य होने चाहिए।  
(Quorum)

नरसिम्हन समिति I :- 1991:

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- विदेशी बैंकों को भी भारत में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- विदेशी बैंको तथा घरेलु बैंकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- CRR व SLR को कम किया जाना चाहिए। [CRR = 13%<sup>पहले</sup>, SLR = 38%]
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% किया जाना चाहिए।
- भारत में तीन स्तर के बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए -
  1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक
  2. राष्ट्रीय स्तर के बैंक
  3. क्षेत्रीय स्तर के बैंक
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए।
- Debt Recovery Tribunal स्थापित किए जाने चाहिए।
- Asset Reconstruction Company (ARC) की स्थापना की जानी चाहिए।

नरसिम्हन समिति II :- 1998 ई.

- बैंकों के आपसी विलय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- \* कमजोर बैंकों का विलय मजबूत / सशक्त बैंकों में नहीं किया जाना चाहिए।
- \* उन्हें नेरो बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- \* नेरो बैंक :- वे बैंक जो केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ऋण देते हैं, जोखिम वाले क्षेत्रों में नहीं।
- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम करके 33% की जानी चाहिए।
- बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।  
और
- बेसल मानकों को अपनाया जाना चाहिए।
- NBFC को RBI के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए।
- बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

## प्रधानमंत्री जन-धन योजना :-

- 15 Aug., 2014 को इस योजना की घोषणा की गई।
- 28 Aug., 2014 को यह योजना लागू की गई।
- पहले सप्ताह में एक करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।
- उद्देश्य - वित्तीय समावेशन
- इसमें 10 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के बैंक खाते खोले जाते हैं।
- इस बैंक खाते को खोलने के लिए कोई भी एक ID Proof पर्याप्त है।
- यदि एक भी परिचय पत्र नहीं है तो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर भी यह खाता खोला जा सकता है।
- यदि KYC नियम पूरे नहीं होते हैं तो इस स्थिति में खाते में अधिकतम 50000 रुपये का विनिमय किया जा सकता है।
- अब तक 30 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके हैं।
- 26 Jan., 2015 से पहले जिन लोगों ने यह खाता खुलवाया है उन्हें 30 हजार रुपये के जीवन बीमा सुविधा प्रदान की गई है।
- सभी खाताधारकों को एक लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि 90 दिन में कम से कम एक बार किसी प्रकार का विनिमय होना चाहिए।
- इसमें RuPay Debit Card उपलब्ध करवाया जाता है।
- खाताधारकों को 5000 तक की Over Draft की सुविधा दी जा सकती है [ 6 महीने बाद बैंक द्वारा ]
- इसमें मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है [ Smartphone की आवश्यकता नहीं ]

- स्लोगन - "मेरा खाता, मांग्य विधाता"
- न्यूनतम बैलैन्स बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

### PREPAID INSTRUMENT

- ये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
- अधिकतम 50000 रुपये तक की जमाएँ ले सकते हैं।
- ये नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते।
- ये प्रति विनिमय पर 0.5% शुल्क ले सकते हैं।
- ये KYC नियमों का पालन करते हैं।
- ये CRR व SLR को maintain नहीं करते अतः नचिकेता मोर समिति ने इनकी आलोचना की तथा इनके स्थान पर Payment Bank स्थापित करने की अनुशंसा की।

e.g. Airtel Money, M-Pesa

### PAYMENT BANK

- स्थापना = 2015
- आवश्यक पूंजी = 100 करोड़
- 100 करोड़ में Promoters की हिस्सेदारी 40% होनी चाहिए जो कि अगले 12 वर्ष में 26% तक हो सकती है।
- उद्देश्य = वित्तीय समावेशन
- ये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- यह अधिकतम 100000 तक की जमाएँ स्वीकार कर सकता है।
- यह Debit Card उपलब्ध कराता है।
- यह नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- यह ऋण नहीं देता है अतः यह क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराता।
- ये CRR व SLR के नियमों का पालन करते हैं।

- ये 5% CRR देते हैं।
- शेष राशि का 75% SLR के रूप में रखते हैं।
- तथा शेष 25% बैंक खातों में जमा कराना होता है।

### SMALL BANK

- स्थापना : 2015
- आवश्यक पूंजी : 100 करोड़
- Promoters की हिस्सेदारी : 40 %
- \* जो अगले 12 वर्ष में 26% तक हो सकती है।
- उद्देश्य : वित्तीय समावेशन
- ये छोटे ऋण उपलब्ध कराता है।
- जैसे-लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, किसान etc.
- इसे 75% ऋण प्राथमिकी सेक्टर में देने होते हैं [PSL]
- इसे 50% ऋण छोटे ऋण के रूप में देने होते हैं।
- \* छोटा ऋण = 25 लाख तक
- ये कितनी भी जमाएँ स्वीकार कर सकते हैं।
- CRR तथा SLR नियमों का पालन करते हैं।

→ RBI बैंकों के माध्यम से मनी सप्लाई करता है।  
 → बैंक 4 प्रकार के खातों की सुविधा उपलब्ध करवाता है :-

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1. | Current Deposite Account / Trade Account | } Demand Deposite |
| 2. | Saving " "                               |                   |
| 3. | Recurring " "                            | } Time Deposite   |
| 4. | Fixed " "                                |                   |

$$M_1 = \text{जनता के पास नकद} + \text{Banks के पास मांग जमा} + \text{RBI की अन्य जमाएँ}$$

$$M_2 = M_1 + \text{डाकघरों की मांग जमा}$$

$$M_3 = M_1 + \text{Banks की अवधि जमा}$$

$$M_4 = M_3 + \text{डाकघरों की सभी जमाएँ (मांग जमा + अवधि जमा)}$$

$$M_0 = \text{जनता के पास नकद} + \text{RBI की अन्य जमाएँ} + \text{RBI के पास CRR}$$

RBI द्वारा जारी किए गए नए एग्रीगेट्स -

$$NM_1 = \text{जनता के पास नकद} + \text{Banks के पास मांग जमा} + \text{RBI के पास अन्य जमाएँ}$$

$$NM_2 = NM_1 + \text{Short term Time Deposite of Residents with Banks}$$

(बैंकों के सभी प्रकार के अल्पकालिक अवधि प्राप्तियाँ)

$$NM_3 = NM_2 + \text{Long term Time Deposite of Residents} + \text{Term Deposite of Banks}$$

$$L_1 = NM_3 + \text{डाकघरों की सभी जमाएँ [ नेशनल सेविंग बॉन्ड्स इसमें शामिल नहीं ]}$$

$$L_2 = L_1 + \text{Refinance Agency} \begin{cases} \rightarrow \text{Deposites} \\ \rightarrow \text{Borrowings} \\ \rightarrow \text{Certificate on Deposites [CD]} \end{cases}$$

$$L_3 = L_2 + \text{Deposits of NBFC}$$

- RBI  $M_0$  के आँकड़े प्रति सप्ताह जारी करता है।
- RBI  $NM_1, NM_2, NM_3$  के आँकड़े 15 दिन बाद जारी करता है।
- $L_1, L_2$  के आँकड़े मासिक जारी करता है।
- $L_3$  के आँकड़े त्रैमासिक तौर पर जारी करता है।
- $M_0$  को High Powered Money (उच्च शक्ति मुद्रा) कहते हैं। इसे Reserve Money भी कहते हैं।
- \* यदि  $M_0$  अधिक है तो मुद्रा स्फीति अधिक होगी।
- \* मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय बैंक  $M_0$  को कम करता है।
- $M_1$  को Narrow Money (संकीर्ण मुद्रा) कहते हैं क्योंकि इसमें बैंकों की Demand Deposite होती है। ये Credit Creation (साख सृजन) में काम नहीं आती।
- $M_1$  व  $M_2$  को भी Narrow Money कहते हैं।
- $M_3$  को Broad Money (वृद्ध मुद्रा) कहते हैं क्योंकि इसमें बैंकों की अवधि जमाएँ शामिल होती हैं जो साख सृजन में काम आती हैं।
- $M_3$  व  $M_4$  को भी संयुक्त रूप से Broad Money कहते हैं।



सरकार की आय और व्यय से सम्बन्धित नीति को राजकीय नीति कहा जाता है।  
इसे बजट के माध्यम से लागू किया जाता है।

→ सरकार की आय का मुख्य स्रोत Tax है।

Tax :-

सरकार को किया गया वह अनिवार्य भुगतान जिसके बदले प्रत्यक्षतः कोई वस्तु या सेवा नहीं ली जाती।

Tax System :-

1. प्रगतिशील कर (Progressive Tax) :-

जब आय के बढ़ने के साथ कर दर भी बढ़ती है तब इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है।

• इससे समाज में आय की असमानता कम होती है।

e.g. Income Tax

2. प्रतिगामी कर (Regressive Tax) :-

यदि अधिक आय वाला व्यक्ति अपनी आय का कम हिस्सा कर में देता है तथा कम आय वाला व्यक्ति अपनी आय का अधिक हिस्सा tax में देता है, ऐसे करों को प्रतिगामी कर कहा जाता है।

e.g. GST

• इससे समाज में आय की असमानता बढ़ती है।

3. समानुपातिक कर (Proportional Tax) :-

जब सभी व्यक्ति अपनी आय का बराबर हिस्सा कर में देते हैं, उसे समानुपातिक कर कहा जाता है।

e.g. Capital Gains Tax

- इससे आय की असमानता पर कोई असर नहीं पड़ता।

4. विशेष कर ( Specific Tax ) :-

यदि वस्तु की भौतिक विशेषता के आधार पर कर लगाया जाए तब इसे विशेष कर कहा जाता है जैसे - लम्बाई, चौड़ाई, वजन आदि के आधार पर

e.g. सिगरेट पर लगाया गया कर [Length]

5. मूल्य कर ( Ad Valorem Tax ) :-

जब कर मूल्य के आधार पर लगाया जाए तब इसे मूल्य कर कहते हैं।

e.g. GST

# Types Of Taxes :- कर दो प्रकार के होते हैं :-

① Direct Tax

② Indirect Tax

① प्रत्यक्ष कर :-

जिस व्यक्ति या संस्थान पर कर लगाए जाते हैं उसी को कर चुकाने पड़ते हैं अर्थात् करभार का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

e.g. Income Tax

लाभ :-

(i) यह एक प्रगतिशील कर है अर्थात् आय की असमानता को कम करता है।

(ii) निश्चितता अधिक होती है।  
इसमें

- (iii) मँडगाई से निपटने के लिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) इसमें परिवर्तन से परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं।

कमियाँ :-

- (i) कार्य करने की प्रेरणा हतोत्साहित होती है।
- (ii) अर्थव्यवस्था, समाज व पर्यावरण में योगदान को नजरअंदाज करता है।

② अप्रत्यक्ष कर :-

यह कर वस्तु तथा सेवा पर लगाया जाता है। इसमें कर भार का स्थानान्तरण किया जा सकता है।

e.g. GST

लाभ :-

- (i) इसका कर आधार बढ़ा होता है।
- (ii) कुछ वस्तुओं व सेवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है और कुछ वस्तुओं व सेवाओं को हतोत्साहित किया जा सकता है।
- (iii) इसमें परिवर्तन से सरकार की आय में अधिक परिवर्तन होता है।

कमियाँ :-

- (i) यह कर प्रतिगामी होते हैं इसलिए आय की असमानता को बढ़ाते हैं।
- (ii) इनको बढ़ाने से मँडगाई बढ़ती है।
- (iii) इनमें जटिलता अधिक होती है।

→ सरकार के द्वारा Tax के ऊपर भी Tax लगाया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं :-

1. Cess ( उपकर )
2. Surcharge ( अधिभार )

Cess व Surcharge में अन्तर :-

Cess	Surcharge
① यह Tax + Surcharge पर लगाया जाता है।	① यह Tax पर लगाया जाता है।
② यह किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है तथा इसे उसी उद्देश्य पर खर्च किया जा सकता है।	② यह <sup>किसी</sup> विशेष उद्देश्य से नहीं लगाया जाता। सरकार अपनी इच्छानुसार इसे खर्च कर सकती है।
③ इससे प्राप्त धन को लोक लेखा (Public Account) में जमा करवाया जाता है।	③ इससे प्राप्त धन को संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा करवाया जाता है।
e.g. स्वच्छ भारत Cess	

→ Cess व Surcharge से प्राप्त धन वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के साथ बाँटा नहीं जाता।

### 1. Consolidated Fund of India :-

- यह सरकार की मुख्य निधि है।
- इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है।
- सरकार की सभी प्रकार की आय, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, सरकार के द्वारा वसूले गए ऋण इसमें जमा करवाए जाते हैं।
- इसमें से खर्च के लिए संसद (लोकसभा) की अनुमति आवश्यक होती है।

### 2. Public Account :-

- इसमें सरकार एक Banker की भूमिका निभाती है।
- जिस उद्देश्य के लिए पैसा जमा करवाया जाता है, उसी उद्देश्य के लिए पैसे को खर्च किया जा सकता है।
- इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है।
- e.g. पेंशन Fund, Money Order, Cess, विनिवेश (disinvestment)

### 3. Contingency Fund of India (आकस्मिक निधि) :-

- आकस्मिक खर्चों को पूर्ण करने के लिए इसका निर्माण किया गया।

e.g. युद्ध, राष्ट्रीय आपदा

- यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। परन्तु इसका संचालन वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है।

★ वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं :-

- ① आर्थिक मामलात (Economic Affairs)
- ② राजस्व विभाग (Revenue)
- ③ व्यय विभाग (Expenditure)

④ वित्तीय सेवाओं का विभाग (Financial Services)

⑤ Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)

- \* प्रत्येक विभाग एक IAS अधिकारी के अधीन होता है, जिसे सचिव कहा जाता है।
- \* इनमें से सबसे वरिष्ठ अधिकारी को वित्त सचिव का दर्जा दिया जाता है।
- \* वर्तमान वित्त सचिव = हंसमुख अदिया
- \* इनके अधीन राजस्व विभाग है।

→ आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

→ इसकी चर्चा अनुच्छेद 267 में है।

→ फ्रेंच भाषा के Bougsee शब्द से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला

→ बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है।

→ यह एक प्रचलित शब्द है।

→ भारत में पहला बजट 1860 में जैम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

→ स्वतंत्र भारत में पहला बजट षण्मुखम् शेट्टी के द्वारा Nov., 1947 में पेश किया गया।

→ बजट Feb. के पहले कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता है।

→ 2017 से पूर्व इसे Feb. के अन्तिम कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता था।

→ बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है।

→ 1999 से पहले बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था।

→ जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम वित्त मंत्री के द्वारा एक भाषण पढ़ा जाता है।

→ यह भाषण दो भागों में होता है :-

(i) Part - A

(ii) Part - B

→ Part - A में अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य जानकारियाँ तथा सरकारी घोषणाएँ होती हैं।

→ Part - B में कर से जुड़े मामले होते हैं।

→ बजट प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। (लोकसभा)

→ आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है।

→ वर्तमान में अरविन्द सुब्रह्मण्यम् मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।

→ बजट से संबंधी सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं [ Budget Section ]

→ जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है, वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में तीन दस्तावेज रखे जाते हैं :-

① वार्षिक वित्तीय विवरण ( Annual Financial Statement ) :-

- \* इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में की गई है।
- \* इसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है।
- \* इसमें तीन वर्ष के आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं :-
  - (i) पिछला वित्तीय वर्ष ( Previous Financial Year )
  - (ii) वर्तमान " "
  - (iii) आगामी " "
- \* वर्तमान और आगामी के आँकड़े अनुमानित होते हैं तथा पिछले वित्तीय वर्ष के आँकड़े वास्तविक होते हैं।

② विनियोग विधेयक ( Appropriation Bill ) :-

- \* इसमें सरकार के खर्च संबंधी जानकारी होती है।
- \* इसके माध्यम से संसद (लोकसभा) से खर्च की अनुमति ली जाती है।
- \* प्रत्येक खर्च एक माँग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- \* प्रत्येक माँग पर चर्चा की जाती है तथा उस पर मतदान किया जाता है।
- \* मतदान के बाद Demand, Grant में परिवर्तित हो जाती है।
- \* यह एक प्रकार का धन विधेयक है।
- \* इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 व 114 में की गई है।



### ③ वित्त विधेयक ( Finance Bill ) :-

- \* इसके माध्यम से कर संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं।
- \* इसकी चर्चा अनुच्छेद 265 तथा 117 में की गई है।
- \* यह भी एक प्रकार का धन विधेयक है।

→ जिस दिन विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पारित हो जाते हैं, उसी दिन बजट पारित हुआ मान लिया जाता है।

### → लेखानुदान ( Vote On Account ) :-

जिस वर्ष बजट 31 March के बाद पारित होता है तब अल्पकालिक अनिवार्य खर्चों की अनुमति लेखानुदान के माध्यम से ली जाती है।

- \* इसकी वैधता 2-4 महीने की होती है।
- \* इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में की गई है।

### → अंतरिम बजट ( Interim Budget ) :-

- \* यह बजट चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।
- \* इसमें अर्थव्यवस्था संबंधी कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए जाते।
- \* इसकी वैधता 12 महीने है यद्यपि नई सरकार इसे पहले भी समाप्त कर सकती है।

### → रेल बजट :-

- \* रेलवे से संबंधित आय और व्यय के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता था।
- \* 1921 में रेलवे से संबंधी एकवर्ष समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट

सै अलग कर दिया गया क्योंकि -

1. बजट का 85% हिस्सा रेलवे का था।
2. रेलवे में विदेशी निवेश अधिक था।

\* 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया  
[ बिबेक देब्रॉय समिति की सिफारिश पर (2016) ]

- (i) नीति आयोग का सदस्य
- (ii) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष  
( 2004 में पहली बार बनाई गई )  
( पहले अध्यक्ष सुरेश तेन्दुलकर थे )

• PM की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य -

- ① रतन पी. वत्तल → Digital भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष
- ② सुरजीत भल्ला
- ③ रतिन रॉय
- ④ आशिमा शौथल

\* रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया क्योंकि -


1. रेल बजट प्रस्तुत करना संवैधानिक दायित्व नहीं है।
2. रेल बजट अप्रासंगिक हो चुका था क्योंकि रेल बजट का हिस्सा कुल बजट का मात्र 15% था।
- उ. रेल बजट से अधिक रक्षा बजट था फिर भी इसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता।
3. रेलवे में विदेशी निवेश नगण्य है।

\* लाभ :-

1. रेल बजट लोक लुभावनी घोषणाओं का एक मंच बन गया था जिसके कारण रेलवे के लागत बढ़ गई तथा नया निवेश नहीं हो पाया।
2. किराए के निर्धारण के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई।

3. परिवहन क्षेत्र के लिए एकीकृत नीति बनाई जा सकेगी।
4. रेलवे के द्वारा सरकार को 9000 करोड़ रुपये का लाभांश दिया जाता था। विलय के बाद यह लाभांश देने की आवश्यकता नहीं है।

# ANNUAL FINANCIAL STATEMENT



पूँजीगत खर्च :-

वह खर्च जिससे परिसंपत्तियाँ (Assets) बढ़ती हैं तथा देनदारियाँ कम होती हैं।

यह खर्च अच्छा खर्च माना जाता है।

राजस्व का खर्च :-

वह खर्च जिससे ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियाँ कम होती हैं।

यह उपभोगीय खर्च होते हैं अतः इन्हें अच्छा नहीं माना जाता।

पूँजीगत प्राप्तियाँ :-

वे प्राप्तियाँ जिससे परिसंपत्तियाँ कम होती हैं तथा देनदारियाँ बढ़ती हैं।

इन्हें अच्छा नहीं माना जाता।

राजस्व की प्राप्तियाँ :-

वे प्राप्तियाँ जिससे ना तो परिसंपत्तियाँ कम होती हैं, ना देनदारियाँ बढ़ती हैं।

इन्हें अच्छा माना जाता है।

# बजट के मुख्य घाटे :-

## ① राजस्व घाटा (Revenue Deficit) :-

राजस्व के व्यय तथा राजस्व की प्राप्तियों का अन्तर राजस्व घाटा कहलाता है।

$$\text{Revenue Deficit} = \text{Revenue Expenditure} - \text{Revenue Receipt}$$

## ② राजकौषीय घाटा (Fiscal Deficit) :-

एक वित्तीय वर्ष में निर्मित सरकार की कुल दैनदारी को राजकौषीय घाटा कहते हैं।

$$\text{Fiscal Deficit} = \text{RE} + \text{CE} - \text{RR} - \text{Non Debt CR}$$

या

$$\text{Fiscal Deficit} = \text{Revenue Expenditure} + \text{Capital Expenditure} - \text{Revenue Receipt} - \text{Non Debt capital Receipt}$$

\* यह सरकार / अर्थव्यवस्था का मुख्य संकेतक है।

\* इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है।

\* यह इसे मुख्य संकेतक सुखमोय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर बनाया गया।

## ③ प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) :-

जब राजस्व घाटे में से राज्यों को दिए गए अनुदान को हटा दिया जाए तब इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है।

\* इसका प्रयोग 2012 से किया जा रहा है।

$$\text{ERD} = \text{FD} - \text{Grant Paid}$$

## ④ प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) :-

जब राजकौषीय घाटे में से चुकाए गए ब्याज को निकाल दिया जाता है तब परिणाम प्राथमिक घाटा है।

$$\text{Primary Deficit} = \text{Fiscal deficit} - \text{Interest Paid}$$

Deficits	2017-18	2018-19
FD	3.6 %	3.3 %
RD	2.6 %	2.2 %
ERD	1.5 %	1.2 %
PD	0.4 %	0.3 %

### घाटे का वित्तयन (Deficit Financing) :-

सरकार के द्वारा जानबूझकर कुछ घाटा रखा जाता है जिससे कि सरकारी खर्च में वृद्धि हो सके तथा बाजार में माँग सृजित की जा सके।


- \* आर्थिक मंदी से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- \* इसका प्रयोग 1929 की आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए किया गया। (निपटने)
- \* यह सिद्धान्त अर्थशास्त्री J.M. कीन्स द्वारा दिया गया।

### अधिक राजकोषीय घाटे के प्रभाव :-

- ① ऋणभार आने वाली पीढ़ी पर स्थानान्तरित हो जाता है।
- ② इससे सरकार की विश्वसनीयता कम होती है इसलिए भविष्य में ऋण लेना मुश्किल हो जाता है।
- \* विश्वसनीयता का निर्धारण Credit Rating Agency द्वारा किया जाता है।

e.g. Moodys, Standards and Poors, Fitch, CRISIL

- ③ इससे सरकारी खर्च बढ़ता है जिससे कि मँहगाई बढ़ती है।
  - ④ सरकार कर राजस्व को बढ़ाने के लिए कर दर को बढ़ा सकती है इससे निवेश हतोत्साहित होगा।
- कर दर बढ़ाने से सरकार की आय में वृद्धि निश्चित नहीं होती।



- सरकार के
- ⑤ आन्तरिक ऋणों के प्रबंधन RBI के द्वारा किया जाता है। इसके लिए RBI बैंकों पर सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने का दबाव बनाती है। इसे बैंकों का वित्तीय दमन कहा जाता है।
  - ⑥ निजी क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता कम हो जाती है, इससे निजी निवेश में कमी आती है। इसे Crowdingout effect कहा जाता है।
  - ⑦ यदि ऋण बाह्य स्रोतों से लिए जाते हैं तब इनका भुगतान भी विदेशी मुद्रा में किया जाता है, इससे विदेशी मुद्रा भण्डार कम होता है। भारतीय मुद्रा कमजोर होगी।

FRBM कानून (Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, 2003)

→ इस कानून में राजकीय घाटे तथा राजस्व घाटे के लक्ष्य निर्धारित किए गए :-

राजकीय घाटा = 3% (2008-09 तक)

राजस्व घाटा = 0% (2008-09 तक)

→ इस कानून के लक्ष्यों में समय-समय पर परिवर्तन किए गए :-

\* 2012 में राजस्व घाटे की जगह प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य बनाया गया।



• इससे सरकार की विश्वसनीयता कम हो रही थी इसलिए FRBM समीक्षा समिति का गठन किया गया [ 2017 में ]

- अध्यक्ष = N.K. सिंह

- सदस्य :-

- (i) सुमित बोस
- (ii) उर्जित पटेल
- (iii) अरविन्द सुब्रमण्यम
- (iv) रतिन राय

- सिफारिशें -

1. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2.5 % रखा गया । इसे 2023 - 24 तक प्राप्त करना है ।
2. लक्ष्य में 0.5 % के विचलन की अनुमति दी गई ।
  - \* इसे Escape Clause कहा गया ।
  - \* इस प्रावधान का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है ।
- e.g. युद्ध , राष्ट्रीय आपदा , आंतरिक सुरक्षा , कृषि को भारी नुकसान , अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार
3. सरकार के राजकोषीय प्रबंधन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए ।
4. ऋण व GDP के अनुपात को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए ।
  - \* ऋण व GDP का अनुपात 60 % होना चाहिए ।
  - \* केन्द्र सरकार का 40 % तथा राज्य सरकार का 20 % हो जाना चाहिए ।
  - \* समिति के सदस्य अरविन्द सुब्रमण्यम के द्वारा इस सिफारिश की आलोचना की गई ।
5. एक नए व्यापक कानून को बनाने की आवश्यकता है ।

## PDMA ( Public Debt Management Authority ) :-

- यह एक स्वतंत्र संस्था होगी जो कि सरकार के आंतरिक और बाह्य ऋणों का प्रबंधन करेगी।
- इसकी सिफारिश B.N. Shukla Commission के द्वारा की गई।
- \* यह आयोग वित्तीय क्षेत्र में कानूनी सुधार के लिए बनाया गया।
- आवश्यकता -
  1. सरकार के आन्तरिक ऋणों का प्रबंधन RBI करती है तथा बाह्य ऋणों का प्रबंधन सरकार स्वयं करती है इसलिए इस कार्य में समन्वय का अभाव था।
  2. RBI के ऋण प्रबंधन का कार्य उसके अन्य कार्यों का विरोधाभासी है।  
बैंकिंग क्षेत्र का नियमन
- e.g.
- जब तक इस संस्था का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इसका कार्य PDMC ( Public Debt Management Cell ) के द्वारा किया जाएगा।

## वित्त आयोग ( Finance Commission ) :-

→ हाल ही में 15 वें वित्त आयोग का गठन किया गया ।

→ अध्यक्ष = N.R. Singh

→ सदस्य :-

- (i) शक्तिरान्त दास [ भारत के पूर्व राजस्व सचिव ]
- (ii) अनूप सिंह [ Economics के प्रोफेसर ]
- (iii) अशोक लाहिड़ी [ बंधन बैंक के प्रमुख ]
- (iv) रमेश चन्द [ नीति आयोग के सदस्य ]

→ यह एक संवैधानिक संस्था है ।

→ इसका गठन Art. 280 के तहत किया जाता है ।

→ कार्य :-

1. केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के लिए सिफारिश देगा ।
2. राज्य सरकारों की आय को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा जिससे कि स्थानीय निकायों को अधिक वित्त प्राप्त हो सके ।
3. राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश करेगा ।
4. केन्द्र व राज्य सरकार के राजस्व पर जडा के प्रभाव का अध्ययन करेगा ।

Finance Commission	Chairman	Recommendation
14 <sup>th</sup>	Y.V. Reddy	42%
13 <sup>th</sup>	Vijay Kelkar	32%
12 <sup>th</sup>	C. Rangrajan	29.5%

# केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर :-

	Income / Profit	Expenditure	Property and Capital Transaction
1.	Income Tax	1. Hotel Receipt Tax	1. Wealth Tax
2.	Corporate Tax	2. Fringe Benefit Tax	2. Security Transaction Tax
3.	Minimum Alternative Tax	3. Gift Tax	3. Commodity Transaction Tax
4.	Capital Gains Tax		4. Banking Cash Transaction Tax
5.	Dividend Distribution Tax		

(I) Income / Profit :-1. Income Tax :-

Gross Income :- एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय को सकल आय कहा जाता है।

→ इसमें से विभिन्न प्रकार की छूट को हटा दिया जाता है  
e.g. कृषि से हुई आय, गृह ऋण के लिए चुकाया गया ब्याज, बचत योजनाओं में किया गया निवेश, LIC etc.

→ प्राप्त परिणाम कर योग्य आय कहलाता है।

$$\text{Taxable Income} = \text{Gross Income} - \text{Exemption}$$

Taxable Income	Tax Rate
T.I. < 2.5 lakh	Nil
2.5 lakh < T.I. < 5 lakh	5 %
5 lakh < T.I. < 10 lakh	20 %
10 lakh < T.I. < 50 lakh	30 %
50 lakh < T.I. < 1 Crore	30% + 10% Surcharge
T.I. > 1 Crore	30% + 15% Surcharge

$$\frac{2500 \times 4}{100} = 100 \rightarrow \text{cess,}$$

$$= 100 \text{ ₹}$$

DATE: / /

→ सभी पर Health and Education Cess 4% लगाया जाता है।

## 2. Corporate Tax :- [निगम कर]

यह कम्पनी या व्यावसायिक संस्थान के Gross Profit पर लगाया जाता है।

यदि कम्पनी का टर्न ओवर 250 करोड़ से कम है तो Tax Rate = 25% होगी।

If Turn over > 250 crore  $\Rightarrow$  Tax Rate = 30%

→ कर दर में कमी से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को लाभ पहुँचाया गया है।

## 3. Minimum Alternative Tax :-

यह कर ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो कि कर योग्य लाभ को शून्य कर लेती हैं।

→ पहली बार 1996 में लगाया गया।

→ इसकी वर्तमान दर 18.5% है।

MAT से जुड़ा विवाद :-

भारतीय कर अधिकारी के द्वारा MAT विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors / FII) पर लगाया गया जिसके कारण विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट को छोड़ने लगे।

इस समस्या का हल करने के लिए A.P. Shah समिति का गठन किया जिसने सिफारिश दी कि FII पर MAT नहीं लगाया जा सकता।

#### 4. Capital Gains Tax :-


→ जब किसी परिसंपत्ति या पूंजी को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर कैपिटल गैन्स टैक्स लगाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है :-

① Short Term CGT - यदि परिसंपत्ति को 3 वर्ष से पूर्व बेचा जाए तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन्स टैक्स लगाया जाता है [15%]

② Long Term CGT - यदि परिसंपत्ति को 3 वर्ष के बाद बेचा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन्स टैक्स लगाया जाता है [20%]

\* बजट 2018 में Long Term CGT शेयर बाजार में लगाया गया जिसकी समय सीमा 1 वर्ष रखी गई है तथा दर = 10% .

→ Vodafone विवाद Capital Gains Tax चोरी से जुड़ा हुआ है [Tax Avoidance]



★ Tax Evasion (कर वंचन) :- यदि कर नियमों व कानून का उल्लंघन करते हुए Tax नहीं चुकाया जाए तब इसे Tax Evasion कहा जाता है।

★ Tax Avoidance :- यदि कर नियमों व कानून की कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाए तो इसे Tax Avoidance कहते हैं।

→ GAAR (GENERAL ANTI-AVOIDANCE RULES) :-

- Tax Avoidance को रोकने के सामान्य नियम हैं।
- इसके अनुसार अगर कोई व्यावसायिक लेन-देन मुख्य रूप से Tax बचाने के लिए किया गया है तो सरकार ऐसे लेन-देन पर Tax लगा सकती है।
- GAAR के लिए पार्थ सारथी सौम समिति बनाई गई [2013]
- इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :-
  - (i) GAAR 2016 से लागू किया जाना चाहिए।
  - (ii) GAAR भूतलक्षी न होकर भविष्यलक्षी होना चाहिए।
  - (iii) Tax Avoidance साबित करने की जिम्मेदारी Tax अधिकारियों की होगी।
  - (iv) GAAR उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए कर भार तीन करोड़ से अधिक है।
- 1 April, 2017 से भारत में GAAR लागू कर दिया गया।
- GAAR लागू करना प्रत्यक्ष करों में एक प्रकार का सुधार है।

### 5. Dividend Distribution Tax :-

- जब कम्पनी के द्वारा शेयरधारकों को लाभ वितरित किया जाता है तब इस पर सरकार DDT लगाती है [15%]
- कम्पनी यह कर काटने के बाद लाभांश शेयरधारकों में वितरित करती है इसलिए इसे Tax Deduction at Source (TDS) कहा जाता है।

### (II) Expenditure Tax :-

- वर्तमान में इस पर कोई Tax नहीं है।

### (III) Property / Capital Transaction Tax :-

#### 1. Wealth Tax :-

- 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि कर संग्रहण की लागत अधिक थी।

#### 2. Security Transaction Tax :-

#### 3. Commodity Transaction Tax :-

- शेयर बाजार तथा <sup>या security बाजार</sup> Commodity बाजार में किए गए लेन-देन पर Security Transaction Tax तथा Commodity Transaction Tax लगाए जाते हैं।

#### 4. Banking Cash Transaction Tax :-

- वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया है।
- भविष्य में इसे लगाने की सिफारिश डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी समिति चन्द्रबाबू नायडू समिति के द्वारा दी गई। [P 2017]



★ प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए अरविन्द मोदी Task Force का गठन किया गया [2018]  
कार्य :-

1. कर आधार को बढ़ाना
2. भारतीय कर प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना
3. कर भुगतान को सरल बनाना

# राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर :-

Income	Property
1. Agriculture Income	1. Stamp Duty
2. On Professional (max. 2500 ₹)	2. Land Revenue
	3. Prosperity Tax - in urban area

- 14 वें वित्त आयोग में पेशेवरों पर 12500 ₹ का कर लगाने की सिफारिश की गई।

# केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर :-

जस्ट से पूर्व की स्थिति :-

1. Basic Custom Duty :- इसे जस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
2. Additional Basic Custom Duty :- जस्ट में शामिल कर लिया गया है।
3. Special Additional Basic Custom Duty :- जस्ट में शामिल कर लिया गया है।
4. Excise Duty :- 5 पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों को जस्ट में शामिल कर लिया गया है।  
[ कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, Aviation turbine fuel ]
5. Additional Excise Duty :- जस्ट में शामिल कर लिया गया है।
6. Service Tax :- जस्ट में शामिल कर लिया गया है।
7. Central Sales Tax :- जस्ट में शामिल कर लिया गया है।  
यह अंतरराज्यीय कर है जो बिक्री पर लगता था।  
Cost = 1000  
CST = 10% → 100 ₹  
= 1100  
Raj. Govt.  
Central Govt.  
State Govt.

# राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर :-

1. Sales Tax / Value Added Tax (VAT) :- पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर शेष को जस्ट में शामिल कर लिया गया है।

2. Excise Duty :- मादक पदार्थों पर → पूर्णरूप से जस्ट से बाहर

3. Purchase Tax :- जस्ट में शामिल

4. Entertainment Tax :- जस्ट में शामिल

5. Entry Tax / Octroi (चुंगी) :- जस्ट में शामिल, Toll Tax भी जस्ट में शामिल है।

6. जुएबाजी, सट्टेबाजी तथा लॉटरी पर सरकार के द्वारा लगाया गया Tax जस्ट में शामिल है।

7. Luxury Tax :- जस्ट में शामिल

8. Advertisement Tax :- जस्ट में शामिल

वे कर जो जस्ट में शामिल नहीं हैं :-

1. Sales Tax on Petroleum Products

2. Excise Duty on Narcotics

3. Those taxes of State Govt. which has been transferred to local Bodies

4. Electricity tax

# GOODS AND SERVICES TAX

## GST की आवश्यकता :-

- ① अप्रत्यक्ष करों की संख्या अत्यधिक थी इस कारण व्यवसायियों के लिए कर प्रबंधन काफी कठिन था।
- ② प्रत्येक राज्य के द्वारा अलग-अलग कर लगाए जाते थे जिसके कारण भारत एक विखण्डित बाजार बन गया था।
- ③ करों की अधिक संख्या के कारण सरकार के लिए भी कर प्रशासन अत्यधिक कठिन था।
- ④ कर चोरी अधिक थी।


⑤ Cascading Effect की समस्या देखी जाती इसका अर्थ है :-  
 Tax के ऊपर Tax लगाना

यह प्रभाव दो प्रकार से देखा जा सकता है :-


(i) केन्द्र व राज्य सरकार का कर आधार अलग-अलग है

e.g. वस्तु का मूल्य = 100 ₹  
 केन्द्र सरकार का कर = 10% [100 + 100 का 10%] = 110 ₹  
 राज्य सरकार का कर = 10% [110 + 110 का 10%] = 121 ₹  
 = 11 ₹ [10 + 1 → Tax के ऊपर Tax]

e.g. मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर Cascading Effect देखा जाता है।



100 ₹		100 ₹	
Bill	Bill	Bill	
Cost = 100	Cost = 210	Cost = 331	
tax (10%) = 10	tax (10%) = 21	tax (10%) = 33.1	
110	231	364.1	



- ⑥ राज्यों में tax की दरें अलग-अलग थीं इसके कारण निवेश कुछ ही राज्यों तक केन्द्रित रहा। इससे विकास में असंतुलन उत्पन्न हुआ।

### GST की पृष्ठभूमि :-

- विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस में 1954 में अपनाया गया।
- सर्वप्रथम वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा GST का विचार प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2003 में विजय केलकर Task Force का गठन किया गया।
- इसने अपनी सिफारिश 2004 में दी।
- बजट 2006 में 2010 तक GST लागू करने की घोषणा की गई।
- इसके लिए वर्ष 2008 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 2011 में 115 वाँ संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया।
- यह संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका।
- 2014 में NDA की सरकार बनी।
- NDA की सरकार के द्वारा 122 वाँ संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया।
- 2 Sept. 2016 को संविधान में 101 वाँ संविधान संशोधन किया गया।
- 1 July, 2017 से भारत में GST को लागू कर दिया गया।

## CGST की विशेषताएँ :-

- ① CGST एक एकीकृत कर है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है।
- ② यह एक प्रकार का मूल्य संवर्धित कर [VAT] है जो कि मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।
- ③ CGST वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- ④ यह गन्तव्य आधारित कर (Destination Based Tax) है क्योंकि इसका लाभ उपभोग करने वाले राज्य को मिलता है।

→ CGST तीन प्रकार का होता है :-

- |       |                         |                            |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| (I)   | CGST ⇒ Central GST ⇒    | केन्द्र सरकार द्वारा लगाया |
| (II)  | SGST ⇒ State GST ⇒      | राज्य " " "                |
| (III) | IGST ⇒ Integrated GST ⇒ | केन्द्र " " "              |

\* यदि वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति एक ही राज्य के भीतर की जाए तब CGST तथा SGST लगाए जाते हैं।

• दोनों [CGST & SGST] का आधार एकसमान होता है, इससे Cascading Effect दूर होता है।

\* जब वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाए तब IGST लगाया जाता है।

• इसकी दर CGST तथा SGST के योग के बराबर होती है।

• IGST का संग्रहण केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

• केन्द्र सरकार अपना हिस्सा रख लेती है और राज्य का हिस्सा उपभोग करने वाले राज्य को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

• आयातों पर IGST लगाया जाता है।

→ IGST की पाँच दरें हैं :-

1. 0%
2. 5% → CGST = 2.5%  
SGST = 2.5%
3. 12% → CGST = 6%  
SGST = 6%
4. 18% → CGST = 9%  
SGST = 9%
5. 28% → CGST = 14%  
SGST = 14%

→ कीमती पत्थर तथा स्वर्ण पर कुछ विशेष दरें रखी गई हैं।

कीमती पत्थर = 0.25%

स्वर्ण पर = 3%

→ IGST में सभी लेन-देन ऑनलाइन संपादित किए जाते हैं।

→ वे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख से ज्यादा है उन्हें IGST में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

\* उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रखी गई है।

→ पंजीकृत व्यापारियों को एक पहचान संख्या GSTIN दिया जाता है।

→ IGST में सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा IT आधारभूत ढाँचे को GSTIN नामक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है।

\* यह कंपनी <sup>network</sup> गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी कंपनी है।

## GST E-way Bill :-

- यह एक प्रकार पारागमन Pass है जिसमें वस्तु भेजने वाले की सूचना, प्राप्त करने वाले की सूचना, वस्तु का मूल्य व प्रकार, Tax आदि होते हैं।
- यदि कोई वस्तु जिसका मूल्य 50000 से अधिक है, को 50 Km. से अधिक दूरी पर ले जाया जाए तब ई-वे बिल उत्पन्न करना अनिवार्य है।
- ई-वे बिल वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन तथा SMS से उत्पन्न किया जा सकता है। के माध्यम
- वस्तुओं का परिवहन आसान हो गया है तथा कम समय लगता है।
- निर्यातों को 0% की दर पर रखा गया है।
- इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

## GST- COUNCIL -

- यह एक संवैधानिक संस्था है।
- इसके लिए संविधान में Art- 279(A) जोड़ा गया है [ 101 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ]
- GST से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण निर्णय GST परिषद् द्वारा लिए जाते हैं।
- e.g. (i) उन अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण करना जिन्हें GST में शामिल किया जाना चाहिए।



- (ii) जडा की स्लैब/ स्तर का निर्धारण करना
- (iii) वस्तु व सेवाओं पर जडा की दरों का निर्धारण करना
- (iv) वह न्यूनतम सीमा निर्धारित करना जिससे ऊपर के राजस्व वाले व्यापारियों को जडा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- (v) जडा से संबंधित विवादों का निपटारा करना

- जडा परिषद् का अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री होता है।
- केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री (दिल्ली व पुडुचेरी सहित) इसके सदस्य होते हैं।
- सभी निर्णय मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं।
- केन्द्र सरकार का मत मूल्य  $1/3$  है तथा राज्य सरकारों का मत मूल्य  $2/3$  है।
- किसी भी निर्णय को लेने के लिए 75% मतों की आवश्यकता है। अर्थात् अकेले केन्द्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती तथा बिना केन्द्र सरकार के भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता अतः जडा परिषद् सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देती है।
- जडा में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (National Anti-Profiteering authority /NAPA) का गठन किया गया है।
- मुनाफाखोरी - जब कर लाभ उपभोक्ता को हस्तान्तरित करने की बजाय व्यापारी के द्वारा स्वयं के लाभ को बढ़ा लिया जाए तब इसे मुनाफाखोरी कहते हैं।

→ NAPA के प्रथम अध्यक्ष = B.N. शर्मा

# GST के लाभ :-

- ① "एक राष्ट्र - एक कर" सिद्धान्त को लागू किया गया है।
- ② अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को GST में शामिल किया गया है, जिससे करपालन आसान हो गया है।
- ③ व्यापार करने की सुगमता बढ़ी [ Ease of Doing Business Index (World Bank द्वारा जारी) में 77 वीं Rank ]
- ④ Cascading Effect दूर हुआ है जिसके कारण वस्तु और सेवाएँ सस्ती हुई हैं।
- ⑤ सरकार के लिए कर प्रबन्धन आसान हुआ है।
- ⑥ कर संग्रहण की लागत कम हुई है।
- ⑦ सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं इसलिए कर चोरी कम हुई है।
- ⑧ टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है जिसके कारण इन्स्पेक्टर राज तथा भ्रष्टाचार में कमी आई है।
- ⑨ करदाताओं की संख्या बढ़ी है।
- ⑩ प्रत्यक्ष कर की चोरी को भी कम किया जा सकता है।
- ⑪ GST से सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ मिलती हैं

जिसका प्रयोग नीति-निर्माण के लिए किया जा सकता है।

- (12) JST का लाभ लेने के लिए विल बनाना अनिवार्य है अतः यह उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देती है।
- (13) JST से कर प्रणाली आसान हुई है जिससे निवेश बढ़ेगा व नए रोजगारों का सृजन होगा।
- (14) यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है।
- (15) JST उपभोग को बढ़ावा देती है जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं और GDP में वृद्धि होती है।
- (16) आयातों पर IJST लगाया जाता है अतः आयात हतोत्साहित होते हैं। निर्यातों पर 0% JST लगाया जाता है अतः निर्यात प्रोत्साहित होते हैं।

# चुनौतियाँ :-

- ① JST के 5 स्तर हैं जिसके कारण जटिलता बढ़ी है।
- ② JST की दर अधिक है।
- ③ पेट्रोलियम उत्पादों तथा राज्य सरकार की एम्साइज इयूटी को JST से बाहर रखा गया है जिसके कारण कर प्रणाली का सरलीकरण नहीं हो पाया है।
- ④ इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत ढाँचा सशक्त नहीं है।
- ⑤ साइबर सुरक्षा तन्त्र कमजोर है।

## ← FINANCE COMMISSION →

12 वाँ वित्त आयोग -


→ अध्यक्ष = सी. रंगराजन

→ सिफारिशें -

- ① केन्द्रीय करों में से 29.5% राशि राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए।
- ② 2009-10 तक Tax व GDP का अनुपात 17.6% होना चाहिए।
- ③ 2009-10 तक ऋण व GDP का अनुपात 75% होना चाहिए।
- ④ FRBM कानून के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए अर्थात् राजकोषीय घाटा 3% तथा राजस्व घाटा 0% होना चाहिए [ 2008-09 तक ]
- ⑤ स्थानीय निकायों को 25000 करोड़ का अनुदान दिया जाना चाहिए।  
इसमें से 20000 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को तथा 5000 करोड़ रुपये शहरी निकायों को दिए जाने चाहिए।

BALANCE OF PAYMENT - एक वर्ष में भारत के द्वारा अन्य देशों से किए गए लेन-देन का लेखा-जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है।

→ यह RBI के अधीन होता है।



(-) → Trade deficit (Import > Export)

(+) → Surplus

→ भारत में चालू खाता घाटे की स्थिति में है।

→ चालू खाते का घाटा तथा राजकौषीय घाटा संयुक्त रूप से कहलाता है।  
Twin deficit

→ भारत के मुख्य आयात -

- ① कच्चा तेल
- ② सोना
- ③ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ
- ④ अन्य पूँजीगत वस्तुएँ

→ भारत के मुख्य निर्यात -

- ① पेट्रोलियम उत्पाद
- ② रत्न - आभूषण
- ③ परिवहन वस्तुएँ
- ④ अन्य अभियांत्रिकी वस्तुएँ

→ मुख्य निर्यात गन्तव्य ⇒ USA

UAE

Hong-Kong  
China

→ मुख्य आयातक देश ⇒

- ① China
- ② USA
- ③ UAE
- ④ सऊदी अरब

→ भारत का आयात अधिक है एवं निर्यात कम है इसलिए व्यापार घाटे की स्थिति में है।

→ व्यापार घाटे के कारण -

- ① भारत में बुनियादी ढाँचा अत्यधिक कमजोर है।
- ② तकनीक और मानव संसाधन की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है जिसके कारण उत्पाद की लागत अधिक होती है तथा भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाते।
- ③ निर्यात उत्पादों में विविधता का अभाव है।
- ④ निर्यात बाजारों में विविधता का अभाव है।
- ⑤ भारत के निर्यात, आयातों पर निर्भर है।
- ⑥ भारत किसी अच्छे क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य

नहीं है इस कारण भारतीय निर्यात उत्पादों को प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क (Non-tariff) बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- ⑦ भारतीयों का स्वर्ण के प्रति विशेष आकर्षण है।
- ⑧ भारत के द्वारा कठोर आयात नीति अपनाई गई जिसके कारण घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव था अतः उत्पादों की गुणवत्ता नहीं बढ़ सकी।
- ⑨ "MADE IN INDIA" अधिक प्रचलित नहीं है।
- ⑩ (तेल व गैस) ऊर्जा संसाधनों के लिए भारत को आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है।

निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास :-

निर्यात से सम्बन्धित दो प्रकार की नीतियाँ होती हैं :-

- ① Growth Oriented Export (GOE)
- ② Export Oriented Growth (EOG)

→ 1991 से पहले भारत के द्वारा GOE की नीति अपनाई गई इसलिए निर्यात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि कुछ कार्य किए गए -

प्रथम

(i) 1965 में कांडला में Export Processing Zone की स्थापना की गई।

\* कालान्तर में 7 अन्य EPZ (निर्यात संवर्धन क्षेत्र) स्थापित किए गए।

(ii) Export Promotion Industrial Park (EPIP) स्थापित किए गए।

\* पहला EPIP नीमराणा में स्थापित किया गया।

(iii) 1981 में Export Oriented Unit स्कीम की शुरुआत की गई।

\* जिसके तहत 100% निर्यात करने वाले संस्थानों को EOU का दर्जा दिया गया। व्यावसायिक तथा इन्टे करों में विशेष छूट दी गई।

(iv) 1991 के आर्थिक सुधारों में भारत में वैश्वीकरण को अपनाया तथा EOU को अपनाया।

\* वर्ष 2000 के बाद से इस हेतु SEZ (Special Economic Zone / विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना की गई।

\* यह अवधारणा चीन से ली गई।

\* वर्ष 2005 में SEZ- Act पारित किया गया और इसे वैधानिक मान्यता दे दी।

SEZ के उद्देश्य :-

- ① निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ② घरेलु और विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
- ③ रोजगार उत्पन्न होगा।
- ④ बुनियादी ढाँचे का विकास हो सकेगा।
- ⑤ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी जिससे कि GDP में वृद्धि होगी।

Q. SEZ क्या है ?

यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है जिसे आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से विदेशी क्षेत्र माना जाता है तथा इन्हें विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं -

- (i) यहाँ पर विश्वस्तरीय आधारभूत ढाँचा उपलब्ध करवाया जाता है।
- (ii) अप्रत्यक्ष करों में पूर्ण छूट दी जाती है।
- (iii) प्रत्यक्ष करों में पहले पाँच वर्ष तक पूर्ण छूट तथा अगले पाँच वर्ष 50% छूट दी जाती है।
- (iv) पर्यावरण व श्रम सम्बन्धी नियमों में छूट दी जाती है।



(v) सरकार किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाती है।

SEZ के दायित्व :-

- (i) SEZ से 100% निर्यात किया जाना चाहिए। यदि घरेलू बाजार में वस्तु बेची जाती है तब इन पर आयात शुल्क लगाया जाएगा।
- (ii) एकल उत्पाद SEZ के लिए 50 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है तथा बहुउत्पाद SEZ के लिए 500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है।
- (iii) जैव-प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- (iv) कुल भूमि के 25% भाग पर SEZ स्थापित करना अनिवार्य है।
- (v) ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए SEZ आत्मनिर्भर होना चाहिए।

SEZ की आलोचनाएँ :-

- (i) किसानों से कम दाम पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया।
- (ii) विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई।
- (iii) सिंचित भूमि के अधिग्रहण से खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- (iv) कर आय में सरकार को हानि हुई।
- (v) मजदूरों सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया जिसका विरोध मजदूर यूनियन के द्वारा किया गया।
- (vi) अधिकतर बार सिर्फ 25% भाग पर ही SEZ की स्थापना की गई।

भारत में SEZ को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली क्योंकि -

- ① चीन में SEZ की स्थापना बन्दरगाहों के पास की गई परन्तु भारत में आन्तरिक क्षेत्रों में SEZ स्थापित किए गए।

- ② SEZ के बाहर आधारभूत ढाँचा सशक्त नहीं थी।
- ③ चीन के मुकाबले भारत में SEZ का आकार छोटा है।
- ④ कर अधिकारियों द्वारा SEZ पर MAT लगाया गया जिससे कर नियमों में अनिश्चितता उत्पन्न हुई।
- ⑤ 2007-08 में विश्व में आर्थिक मंदी आ गई।
- ⑥ भारत की SEZ नीति को WTO में चुनौती दी गई।

→ हाल ही में USA ने भारत की SEZ नीति को चुनौती दी है।

वर्ष 2016-17 में भारत के कुल निर्यातों का 30% SEZ से था।

→ Merchandise Export from India Scheme [MEIS] तथा Services Export from India Scheme [SEIS] शुरू की गई है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात पर कर छूट दी जाती है।

→ MEIS में लगभग 8000 (वस्तुओं) उत्पादों को शामिल किया गया है।

→ कर छूट Duty Credit Scrips के माध्यम से दी जाती है जिसका प्रयोग भविष्य में कर चुकाने के लिए किया जा सकता है।

→ Export Promotion Capital Goods Scheme :-

इस योजना के तहत ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी जाती है जो भविष्य में निर्यात को प्रोत्साहन करें।

\* वह न्यूनतम मूल्य जितना निर्यात करना अनिवार्य है,

निर्यात दायित्व कहा जाता है।

→ यदि निर्यात दायित्व 100% है तो छूट का 6 गुना निर्यात करना अनिवार्य बनता है।

वर्तमान में निर्यात दायित्व को कम करके 75% कर दिया है।

AGRO ECONOMIC ZONE - इनकी स्थापना कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए 2001 में की गई।

\* पहला AEZ दार्जिलिंग में पाइनएप्पल के लिए स्थापित किया गया।

\* कालान्तर में 46 अन्य AEZ स्थापित किए गए।

\* इन्हें SEZ जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं।

विदेश व्यापार नीति [2015-20] -

→ यह नीति वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई।

→ 2020 तक निर्यात बढ़ाकर 900 Billion \$ करने का उद्देश्य रखा गया है।

→ विश्व निर्यात में भारत के हिस्से को बढ़ाकर 3.5% किया जाएगा।

→ निर्यात बढ़ाने के लिए MEIS व SEIS योजनाएँ शुरू की गई हैं।

→ MEIS के तहत उन उत्पादों को अधिक लाभ दिया जाएगा जिन्हें घरेलू सामग्री की मात्रा अधिक है।

→ Duty Credit Scrip का प्रयोग अन्य अप्रत्यक्ष करों को चुकाने के लिए भी किया जा सकता है।

→ EPCZ योजना के तहत निर्यात दायित्व को कम करके 75% तक कर दिया गया है।

→ निर्यात प्रोत्साहन मिशन में राज्य सरकारों को भी साथ में लिया जाएगा।

→ इस नीति को मैक इन इंडिया, स्मिल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया आदि के अनुसार बनाया गया है।

# विदेशी निवेश :-

विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है :-

- ① FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)
- ② FPI

① FDI :-

- \* यह निवेश किसी वास्तविक व्यवसाय में किया जाता है।
- \* विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 10% से अधिक होती है तथा उसी अनुपात में प्रबन्ध के अधिकार दिए जाते हैं।
- \* FDI दो प्रकार की है :-

(i) Green Field FDI - इसमें नए व्यवसाय में निवेश किया जाता है।

e.g. HCL के द्वारा टेलीकॉम कम्पनी शुरू करना एक नई

e.g. amazon.com

(ii) Brown Field FDI - जब किसी स्थापित व्यवसाय में विदेशी निवेश किया जाए

e.g. Vodafone का निवेश

e.g. Flipcart में Walmart का निवेश

\* भारत में विदेशी निवेश के लिए दो रास्ते हैं -

(a) Automatic route - इसके तहत विदेशी निवेश हेतु कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

- निवेश के पड़ दिन में RBI को सूचित करना होता है।
- इसे Bombay Route भी कहा जाता है।
- वर्तमान में 90% से अधिक FDI इसी रूट से आता है।

(b) Approval Route - FDI से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है।

- यह अनुमति आर्थिक मामलात की कैबिनेट समिति प्रदान करती है।
- पूर्व में यह अनुमति Foreign Investment Promotion Board (FIPB) द्वारा दी जाती थी।
- वर्तमान में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है।
- इसे Delhi Route भी कहा जाता है।

FDI के लाभ -

- (i) इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है जिससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है।
- (ii) विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ता है और भुगतान सन्तुलन का संकट नहीं आता।
- (iii) विदेशी निवेश से घरेलु बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे कि वस्तु व सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
- (iv) विदेशी निवेशक अपने साथ तकनीकी, प्रबन्धन तथा विपणन (marketing) कौशल लेकर आता है।
- (v) सरकार की कर राजस्व में वृद्धि होती है।
- (vi) विदेशी निवेश से आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया जा सकता है अर्थात् आयातों का उत्पादन घरेलु बाजार में ही संभव है।
- (vii) इन उत्पादों का निर्यात भी किया जा सकता है।  
विनिमय दर का प्रबन्धन आसान हो जाता है।

भारत में FDI के प्रति आशंकाएँ -

- (i) विदेशी कम्पनियाँ भारत से बड़ी मात्रा में लाभ बाहर लेकर जाती हैं।
- (ii) घरेलू उद्योग इन कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, यह कम्पनियाँ पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।
- (iii) सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
- (iv) इन कम्पनियों के द्वारा Tax Avoidance किया जाता है।
- (v) विदेशी निवेशकों द्वारा अधिकतर निवेश उपभोगीय वस्तुओं में किया जाता है।

भारत में आशानुरूप FDI न होने के कारण -

- (i) भारत में मानव संसाधन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है क्योंकि कौशल का अभाव है।
- (ii) बुनियादी ढाँचा सशक्त नहीं है।
- (iii) FDI के प्रति नीतियाँ राजनैतिक विचारधाराओं के अनुसार बदलती हैं।
- (iv) भारत में प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अत्यधिक जटिल हैं तथा व्यापार करने की सुगमता अत्यधिक कम है।

Note - Ease of Doing Business Index → Doing Business Report  
↳ World Bank

In 2015 → 142/190

In 2018 → 77/190

10 मापदंड -

- ① starting business
- ② Getting Construction Permit
- ③ Getting electricity connection
- ④ Registering property
- ⑤ Paying Taxes

- (6) Trade across border
- (7) Getting Credit
- (8) Protecting Minority Shareholders interest
- (9) Enforcing contract
- (10) Resolving Insolvency

→ 1<sup>st</sup> Rank - न्यूजीलैंड

- (v) भ्रष्टाचार के कारण भी विदेशी निवेशकों को समस्याएँ आती हैं।
- (vi) स्थानीय विरोध
- (vii) विनिमय दर स्थिर नहीं रहती हैं जिसके कारण विदेशी निवेशकों का लाभ प्रभावित होता है।
- (viii) भारत में मजदूरों संबंधी नियम, पर्यावरण संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हैं।
- (ix) कर प्रणाली अत्यधिक कठोर है तथा कर दर भी उच्च हैं।
- (x) कुछ क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा कुछ क्षेत्रों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
- (xi) विदेशी निवेशकों को अच्छा धरेलु सहयोगी नहीं मिल पाता।

FDI को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास -

- (i) आधारभूत ढाँचे को सशक्त किया जा रहा है।
- (ii) मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए Skill India जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं।
- (iii) निवेश को आकर्षित करने के लिए MAKE IN INDIA कार्यक्रम शुरू किया गया।
- (iv) LPG सुधारों के बाद बेरि वैश्वीकरण को अपनाया गया।

↓  
Liberalization, Privatization, Globalization

- (v) 90% से अधिक FDI को ऑटोमैटिक रूट में रखा गया
- (vi) FIPB को समाप्त किया गया।
- (vii) विदेशी मुद्रा के संचालन हेतु Foreign Exchange Regulation Act (FERA) - 1973 को Foreign Exchange Management Act - 1999 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।  
[FEMA]

FERA व FEMA के बीच अंतर -

FERA	FEMA
① आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है	① दीवानी मामला (Civil Case) दर्ज किया जाता है।
② सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है।	② गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है।
③ 3 वर्ष कारावास की सजा तथा 5 गुना जुर्माना	③ आर्थिक जुर्माना [ 3 गुना ] - सिर्फ
④ अपराध साबित करने की जिम्मेदारी जाँच एजेंसी पर नहीं	④ जाँच एजेंसी को अपराध साबित करना होगा।

- (viii) सरकार के द्वारा FDI की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
- बीमा क्षेत्र में 26% से बढ़ाकर 49%.
- e.g. रिटेल सेक्टर में 51%.
- e.g. रक्षा क्षेत्र में 100%.
- e.g. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) - 100%.
- e.g.




②

FPI :-

- यह निवेश शेयर बाजार में किया जाता है।
- निवेश की सीमा 10% से कम होती है तथा हिस्सेदारी के अनुपात में प्रबन्ध के अधिकार नहीं दिए जाते।

→

Foreign Portfolio Investment



FPI के लाभ -

- (i) इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ता है तथा विनिमय दर के प्रबन्धन में मदद मिलती है।
- (ii) इससे पूँजी बाजार विकसित होता है तथा घरेलू कम्पनियों को अधिक पूँजी प्राप्त होती है।
- (iii) FPI का दायरा अत्यधिक सीमित है अतः FDI की आशंकाएँ यहाँ लागू नहीं होती।

FPI की चुनौतियाँ -

- (i) इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। ये किसी बाजार में आते भी जल्दी हैं और जाते भी जल्दी हैं इसलिए इन्हें Hot Money कहा जाता है।

FDI व FPI में अन्तर -

## FDI

## FPI


- ① यह दीर्घकालिक है।
- ② ये वास्तविक व्यवसाय में निवेश करते हैं।
- ③ तकनीक, प्रबन्धन तथा विपणन कौशल लेकर आते हैं।
- ④ ये प्रत्यक्षतः रोजगार सृजित करते हैं।
- ⑤ 10% से अधिक

- ① यह अल्पकालिक है
- ② ये शेयर बाजार में निवेश करते हैं।
- ③ ये ऐसा नहीं करते
- ④ ये प्रत्यक्षतः रोजगार सृजित नहीं करते
- ⑤ 10% से कम

→ वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा को घरेलु मुद्रा में तथा घरेलु मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, विनिमय दर कहलाती है।

→ यह दो प्रकार की होती है -

- ① Fixed Exchange Rate (सरकारी हस्तक्षेप)
  - ② Floating Exchange Rate (बाजार आधारित)
- ↓  
Demand and supply



(i) Pegged E.R. - सरकार के द्वारा एक निश्चित विनिमय दर निर्धारित की जाती है तथा सामान्यतया इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता।

(ii) Crawling Pegged E.R. - एक निश्चित विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है तथा समय-समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता है।

(iii) Pegged within a band - इसमें सरकार के द्वारा अधिकतम व न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है।

Floating E.R. - यह माँग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

Demand -  
 वस्तुओं का आयात  
 सेवाओं का आयात  
 लाभ भेजने के लिए  
 Remittance भेजने के लिए  
 विदेश में निवेश के लिए

Supply -  
 वस्तुओं का निर्यात  
 सेवाओं का निर्यात  
 लाभ प्राप्त  
 Remittance प्राप्त  
 FDI / FPI

- (i) Fully floating E.R. - इसमें विनिमय दर पूर्णरूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है।  
 \* यह एक आदर्श अवस्था है।  
 \* व्यावहारिक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि विनिमय दर में बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

- (ii) Floating but managed - सामान्यतः यह विनिमय दर बाजार आधारित होती है परन्तु केन्द्रीय बैंक के द्वारा कुछ अवस्थाओं में इसका प्रबन्धन किया जाता है।

## भारत में विनिमय दर का इतिहास -

- 1947 में Fixed E.R. को अपनाया गया।  
भारतीय मुद्रा की Pegging डॉलर तथा पाउंड से की गई।
- 1948 व 1966 में बड़े स्तर पर मुद्रा का अवमूल्यन किया गया।
- 1991 में भारत में भुगतान सन्तुलन का संकट आया जिसके कारण 1991 में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) करना पड़ा।
- 1992 में दोहरी विनिमय दर व्यवस्था को अपनाया गया जिसमें Fixed व Floating दोनों प्रकार की विनिमय दर उपस्थित थी।
- 1993 में इस दोहरी व्यवस्था को त्याग दिया गया व Floating but managed E.R. को अपनाया गया।
- भारत में विनिमय दर का प्रबन्धन RBI के द्वारा किया जाता है।

## रुपये के कमजोर होने के प्रभाव -

- ① आयात महँगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं।
- ② विदेशी निवेशक का लाभ कम हो जाता है।
- ③ Remittance भेजने में नुकसान होता है तथा Remittance प्राप्त करने में लाभ।

## मजबूत रुपये के प्रभाव -

- ① आयात सस्ते हो जाते हैं तथा निर्यात महँगे हो जाते हैं।
- ② विदेशी निवेशकों को लाभ अधिक होता है।
- ③ Remittance प्राप्त करने में नुकसान तथा भेजने में लाभ होता है।

## परिवर्तनीयता (Convertibility) -

### Full convertibility

यदि सभी मुग्तानों के लिए घरेलु मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलु मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके, तब इसे पूर्ण परिवर्तनीयता कहा जाता है।

### Partial convertibility

जब कुछ मुग्तानों के लिए मुद्रा का परिवर्तन सम्भव नहीं हो, तब उसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है।

### - भारत में परिवर्तनीयता की स्थिति -

- भारत में चालू खातों के मुग्तानों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया है।
- 1993 में दृश्य मुग्तानों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया।
- 1994 में अदृश्य मुग्तानों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया।
- यद्यपि कुछ अपवाद रखे गए हैं -

- e.g. ① पर्यटन :- एक व्यक्ति एक वर्ष में पर्यटन हेतु 10000 डॉलर से अधिक भारत से बाहर नहीं ले जा सकता
- ② शिक्षा व चिकित्सा - प्रति व्यक्ति सीमा 1 लाख डॉलर
- ③ विदेशियों को पुरस्कार व जन्म देने हेतु सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- ④ जुएबाजी, सट्टेबाजी - परिवर्तन प्रतिबन्धित

→ पूंजी खाते के मुग्तानों के लिए आंशिक परिवर्तनीयता लागू है।

→ यद्यपि पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहे हैं।

- विदेशी मुद्रा के अन्तः प्रवाह के नियमों को सरल बनाया गया है तथा बाह्य प्रवाह के नियमों को कठोर रखा गया है।
- एक व्यक्ति विशेष 250000 डॉलर से अधिक विदेश में निवेश नहीं कर सकता।
- एक कम्पनी अपनी Networth (Assets - Liability) के 400% से अधिक विदेश में निवेश नहीं कर सकती
- Mutual Fund सात अरब डॉलर से अधिक विदेश में निवेश नहीं कर सकता।
- पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने के लिए D.S. तारापौर समिति दो बार 1997 तथा 2006 में बनाई गई।
- दोनों बार पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने की सिफारिश कमिश्नरि रूप से की गई।

## ORGANISATION

→ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए USA के शहर Brettonwoods में एक सम्मेलन 1944 में बुलाया गया।

→ इसमें 3 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का निर्णय लिया गया -

- (I) IMF (International Monetary Fund)
- (II) IBRD (International bank for reconstruction and Development) - World Bank
- (III) ITO (International trade Organisation)

→ IMF व IBRD 1945 में स्थापित हुए परन्तु US-Senate की मंजूरी न मिलने से ITO का गठन नहीं हो सका।

### (I) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) -

स्थापना = 1945

मुख्यालय = वाशिंगटन डी.सी.

सदस्य = 189

नवीनतम सदस्य = नौरु (Nauru)

MD = क्रिस्टिना लैगार्ड (फ्रांस की पूर्व वित्त मंत्री)

#### उद्देश्य -

① भुगतान संकट के समय सदस्य देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है।

② यह विश्व अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखता है। इसके लिए तीन रिपोर्ट जारी की जाती हैं -

- (i) World Economic Outlook
- (ii) Global Financial Stability Report
- (iii) Fiscal Monitor

③ अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानी हेतु विनिमय दर को स्थिर बनाए



रखने के लिए भी कार्य करता है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

IMF की संरचना -  
त्रिस्तरीय संरचना है -

(1) Board of Governors - निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था  
 • सदस्य देशों के वित्त मंत्री या केन्द्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं।

कार्य -

- (a) MD की नियुक्ति
- (b) नये सदस्य को शामिल करना
- (c) IMF में सुधार
- (d) वर्ष में एक बैठक आयोजित

(2) Executive Director (कार्यकारी निदेशक) -

- 24 डायरेक्टर्स हैं।
- ये ऋण सम्बन्धी निर्णय लेते हैं।
- सदस्य देशों में से इनका चुनाव किया जाता है।
- भारत से सुबीर गौर्ण Executive Director हैं।
- कार्यकाल = 5 वर्ष

(3) Managing Director (प्रबन्ध निदेशक) -

- MD, IMF मुख्यालय का प्रमुख होता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर IMF को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए और पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।

## कोटा प्रणाली [Quota System] -

- सदस्य देश की भूमिका कोटा प्रणाली के माध्यम से निर्धारित की जाती है।
- प्रत्येक सदस्य देश को एक निश्चित कोटा आवंटित किया जाता है।

### कोटा निर्धारण के आधार - / कारक -

- ① GDP (50%) → Exchange Rate (60%)  
↳ Purchasing Power Parity (40%)
- ② Openness of Economy (30%)
- ③ Economic Variability (अर्थव्यवस्था की गतिशीलता) - 15%
- ④ Forex Reserve (5%)

→ कोटा के आधार पर तीन प्रकार की भूमिकाएँ निर्धारित होती हैं -

- ① पूँजी में भागीदारी - जिस देश का कोटा अधिक होता है उसे IMF में अधिक धन जमा कराना होता है।

- इसका 25% Hard Currency में जमा कराना होता है जिसे Reserve Tranche कहते हैं।

तथा शेष 75% स्वयं की मुद्रा में जमा करवाया जा सकता है।

- ② मत मूल्य (Vote Value)

- जिस देश का कोटा अधिक होता है उसका मत मूल्य भी अधिक होता है।

- ③ ऋण क्षमता (Credit Capacity)

- सदस्य देश कोटा का 145% ऋण एक वर्ष में प्राप्त कर सकता है।

- कुल कौटा का 435% ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- कौटा की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाती है।
- 14 वीं कौटा समीक्षा 2010 में की गई परन्तु इसे 2016 में लागू किया गया।
- कौटा समीक्षा को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर के 85% मतों की आवश्यकता होती है।

14 वीं कौटा समीक्षा से आए परिवर्तन -

- ① IMF की पूंजी लगभग दो गुनी हो गई है [~ \$ 677 बिलियन] इससे IMF की कार्यक्षमता बढ़ेगी
- ② 6% कौटा विकसित देशों से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को हस्तान्तरित हुआ है।
- ③ IMF के इतिहास में पहली बार पहले 10 कौटा धारकों में से 4 विकासशील देश हैं।

- China
- Russia
- India
- Brazil

- ④ चीन का कौटा बढ़कर लगभग 6% हो गया है और वह तीसरा सबसे बड़ा कौटाधारक बन गया है।
- ⑤ भारत का कौटा बढ़कर 2.76% हो गया है और भारत 11 वें स्थान से 8 वें स्थान पर आ गया है।

कार्यकारी निदेशक संबंधी सुधार -

- पूर्व में 24 में से 5 कार्यकारी निदेशक पहले पाँच कौटाधारकों के लिए आरक्षित होते थे तथा शेष 19 का चुनाव किया जाता था।
- वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है तथा सभी 24 directors का चुनाव होता है।

→ सर्वाधिक कौटा USA तथा सबसे कम कौटा तुवालु (Tuvalu) का है।

### Special Drawing Rights (SDR) -

- ये IMF की मुद्रा है।
- IMF के भुगतान SDR में किए जाते हैं।
- राष्ट्रमुक्त भुगतानों (दो देशों की सरकारों के मध्य) के लिए भी इसका <sup>Sovereign</sup> प्रयोग किया जा सकता है।
- शुरुआत = 1969
- प्रारम्भ में  $1 \text{ SDR} = 1 \text{ Dollar} = 0.88 \text{ gm. Gold}$

इसलिए इसे Paper Gold भी कहा जाता है।

→ वर्तमान में इसका मूल्य पाँच मुद्राओं पर आधारित होता है -

- Dollar
- Euro → यूरोपीय संघ के 19 देशों की
- Pound
- Yen
- Renminbi → (China) → Latest

### (II) World Bank Group -

1. IBRD
2. International Development Association (IDA)
3. International Finance Corporation (IFC)
4. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
5. International Settlement of Investment Disputes (ICSID)  
centre for

① IBRD - स्थापना = 1945  
सदस्य = 189

- जो देश IMF का सदस्य है वह स्वतः ही IBRD का सदस्य भी बन जाता है।
- इसकी संरचना IMF के समान होती है इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से Brettonwoods Twin कहते हैं।
- इसके प्रमुख को President कहा जाता है।
- President = Jim Yong Kim
- वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा USA का नागरिक होता है तथा IMF का प्रमुख सदैव एक यूरोपीय नागरिक होता है।
- कार्य -
- यह पुनर्निर्माण तथा विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है।
- सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढाँचे के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है।
- गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, महिला इसके अतिरिक्त। सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है।

② IDA - स्थापना = 1960

कार्य -

- (i) अल्प विकसित देशों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना
- (ii) अनुदान देना
- (iii) लम्बी अवधि के ऋण अत्यधिक कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाना

- ③ IFC - स्थापना = 1956
- निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है।
  - तकनीकी और वित्तीय सलाह उपलब्ध करवाता है।

- ④ MIWA - स्थापना = 1988
- यह ऐसे देशों में निवेश की गारंटी उपलब्ध करवाता है जो कि राजनैतिक अस्थिरता, गृह युद्ध आदि से ग्रसित हैं।

- ⑤ IUCSID - स्थापना = 1966
- निवेश सम्बन्धी विवादों का निपटारा करता है।
- Imp: भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है।

### (III) World Trade Organisation (WTO) -

#### पृष्ठभूमि -

- ITO की स्थापना न होने पर 1947 में General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) की स्थापना की गई। परन्तु यह अधिक सफल नहीं रहा।
- इसके 8<sup>th</sup> दौर की बातचीत 1986 में उरुग्वे में शुरू हुई।
- यह बातचीत का दौर 1994 तक चला जिसके बाद GATT को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- 1 Jan. 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई।
- इसके लिए मॉरिशस सन्धि (Marrakesh Treaty - 1994) की गई।

GATT व WTO में अन्तर -

GATT	WTO
① यह एक सामान्य समझौता है।	① यह एक संवैधानिक संस्था है।
② इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं।	② इसके निर्णय बाध्यकारी हैं।
③ कार्यक्षेत्र वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था।	③ कार्यक्षेत्र वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक सम्पदा, निवेश आदि क्षेत्रों में कार्य करता है।

- WTO के सदस्य = 164
- नवीनतम सदस्य = अफगानिस्तान (2016 में बना)
- मुख्यालय = जिनेवा (स्विट्जरलैंड)

WTO की संरचना -  
संरचना त्रिस्तरीय है -

- ① Ministerial Conference (मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन)
  - \* यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
  - \* कार्य -
    - (i) विश्व व्यापार को बढ़ाना
    - (ii) विश्व व्यापार में आने वाली प्रशुल्क व गैर प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए समझौते करना
    - (iii) एक बहुपक्षीय नियम आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था लागू/स्थापित करना
    - (iv) महानिदेशक (Director General / DG) की नियुक्ति
  - \* इसकी बैठक सामान्यतया 2 वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती है।

- सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री इसमें भाग लेते हैं।
- अब तक आयोजित हुई 12 बैठकें -

1.	1996	-	सिंगापुर
2.	1998	-	जिनेवा
3.	1999	-	सिएटल (USA)
4.	2001	-	दोहा (कतर)
5.	2003	-	कानकुन (मैक्सिको)
6.	2005	-	Hongkong
7.	2009	-	जिनेवा
8.	2011	-	जिनेवा
9.	2013	-	बाली (इंडोनेशिया)
10.	2015	-	नैरोबी (केन्या)
11.	2017	-	ब्युनस आयर्स (अर्जेन्टीना)
12.	2020	-	अस्ताना (कजाकिस्तान) → प्रस्तावित

② General Council (सामान्य परिषद) -

Trade Policy Review Body  
 ↓  
 सदस्य देशों की व्यापार नीति की समीक्षा करना

Dispute Settlement Body  
 ↓  
 सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा

③ DG -

- \* यह WTO के मुख्यालय का प्रमुख होता है।
- \* दैनिक कार्य करता है।
- \* कार्यकाल = 4 वर्ष
- \* पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
- \* वर्तमान DG = Roberto Azevedo (Brazil)
- दूसरा कार्यकाल



दोहा सम्मेलन (2001)

→ इस सम्मेलन में विकसित व विकासशील देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ।

→ विकासशील देशों के द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण इसे Doha Development Round भी कहा जाता है -

## ① कृषि सब्सिडी का मुद्दा -

\* WTO में 1994 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया गया जिसमें कृषि को दी जाने वाली घरेलू सब्सिडी को दूर करने की बात कही गई क्योंकि ये सब्सिडी बाजार को विकृत करती है।

\* कृषि सब्सिडी को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है -

(i) Amber Box - इसमें वे सब्सिडी रखी गई जिससे अनियंत्रित उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा बाजार विकृत होता है  
e.g. विद्युत सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, MSP (min. support price) सिंचाई सब्सिडी

• Amber box की सब्सिडी एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं दी जा सकती।

• विकासशील देशों के लिए यह सीमा कृषि उत्पादन का 10% तथा विकसित देशों के लिए 5% है।

• इसे लागू करने के लिए विकसित देशों को 6 वर्ष तथा विकासशील देशों को 10 वर्ष का समय दिया गया।

(ii) Blue Box - इसमें वे सब्सिडी रखी गई हैं जो कि सीमित मात्रा में बाजार को विकृत करती हैं  
e.g. प्रति एकड़ सब्सिडी, प्रति पशु सब्सिडी

• ब्लू बॉक्स की सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए परन्तु इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(iii) Green box - इसमें वे सब्सिडी रखी गई हैं जो कि बाजार को विकृत नहीं करती  
अनुसंधान पर दी गई सब्सिडी

e.g.

- इस सब्सिडी पर कोई रोक नहीं है।

### विवाद -

- (a) विकासशील देशों के अनुसार उनकी अधिकतर सब्सिडी को एम्बर बॉक्स में रखा गया है तथा विकसित देशों की सब्सिडी को ब्लू तथा ग्रीन बॉक्स में रखा गया है।
- (b) विकसित देशों की 5% सब्सिडी, विकासशील देशों की 10% सब्सिडी से अधिक है क्योंकि उनका कृषि उत्पादन अधिक होता है।

### ② बौद्धिक सम्पदा -

- \* वह सम्पदा जो कि मनुष्य की बुद्धि से सृजित की जाती है, बौद्धिक सम्पदा कहलाती है।
- \* इसकी सुरक्षा के लिए WTO में TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) समझौता किया गया है।
- \* इसके माध्यम से Copyrights, Patent, Trademarks, GI tag, Industrial Design आदि सुरक्षाएँ प्रदान की गईं।

मुख्य विवाद - Patent को लेकर हुआ।

- \* Patent दो प्रकार का होता है -

- (i) Process Patent  
(ii) Product Patent

- \* इसके माध्यम से बाजार में एकाधिकार स्थापित होता है।
- \* विकासशील देशों में प्रोसेस पेटेंट को वरीयता दी जाती है।
- e.g. भारत में 12 वर्ष के लिए प्रोसेस पेटेंट दिया जाता था [ इंडियन पेटेंट एक्ट - 1970 के माध्यम से ]
- \* विकसित देशों में प्रोडक्ट पेटेंट को मान्यता देने की माँग उठाई।
- \* 2005 में भारतीय पेटेंट कानून को संशोधित किया गया तथा प्रोडक्ट पेटेंट को मान्यता दी गई।
- \* पेटेंट वर्तमान में 20 वर्ष के लिए दिया जाता है।

### # अन्य विवाद -

#### 1. GLIVEC Dispute -

- GLIVEC ब्लड व Intestine Cancer की दवाई है।
- निर्माता = Novartis ( Swiss Company)
- रसायन = Imatinib
- नया रसायन = Imatinib Mesylate
- यह Evergreening का मुद्दा है।
- Novartis ने इमेटिनिब से इमेटिनिब मीजिलेट का निर्माण किया है तथा नए रसायन के पेटेंट हेतु आवेदन किया गया है।
- पेटेंट अधिकारी के द्वारा इस पेटेंट आवेदन को रद्द कर दिया गया क्योंकि नए रसायन से उपचार की दक्षता (Therapeutic Efficiency) में वृद्धि नहीं होती है तथा भारतीय पेटेंट कानून की धारा - 3 के अनुसार पेटेंट तभी दिया जा सकता है जब उपचार की दक्षता बढ़ती हो।

- HC व SC के द्वारा भी इस आवेदन को रद्द किया गया
- USA तथा अन्य पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता।
- भारत का प्रत्युत्तर था कि -  
“ भारतीय पेटेंट कानून की धारा - 3(v), WTO के TRIPS समझौते के अनुसार है। ”

## 2. NEXAVAR Dispute -

- NEXAVAR लीवर व किडनी कैंसर की दवाई है।
- निर्माता = Bayer's Corporation [ German Company ]
- मुद्दा = Compulsory Licence
- नेक्जावर की कीमत अधिक थी [ महँगी दवाई ], सामान्य व्यक्ति इसका भार वहन नहीं कर पा रहा था इसलिए सरकार ने हैदराबाद की NATCO को Compulsory Licence जारी किया
- यह लाइसेंस भारतीय पेटेंट कानून की धारा - 84 के तहत जारी किया गया।
- वर्तमान में NATCO इसका जैनेरिक वर्जन उत्पादित करती है जिसका मूल्य अत्यधिक कम हो गया है।
- बैयर्स कॉर्पोरेशन तथा अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों का सम्मान न करने का आरोप लगाया।
- भारत का प्रत्युत्तर था कि -  
“ भारतीय पेटेंट कानून की धारा - 84, WTO के TRIPS समझौते के अनुसार है। ”

3. Non - Agricultural Market Access (NAMA) -

- विकसित देशों के द्वारा मांग उठाई गई कि गैर-कृषि उत्पादों पर आयात शुल्कों को कम किया जाना चाहिए।
- इस हेतु एक Swiss Formula दिया गया।

$$T_{\text{new}} = \frac{A \times T_{\text{old}}}{A + T_{\text{old}}}$$

$T_{\text{new}}$  = new tariff

$T_{\text{old}}$  = old tariff

A = maximum tariff

- विकासशील देशों के द्वारा इस मांग का विरोध किया गया क्योंकि वे घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करना चाहते थे।

4. सेवाएँ -

- सेवाओं का व्यापार बढ़ाने के लिए WTO में GATS (General Agreement on Trade in Services) समझौता किया गया।

- इसमें सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया -

(i) Mode 1 - एक देश में रहते हुए दूसरे देश में दी जाती है

e.g. BPO (Business Process Outsourcing) / call centres

(ii) Mode 2 - इसमें वे सेवाएँ रखी गई हैं जिनका उपयोग (इनका उपयोग करने के) विदेश में जाकर किया जाता है।

e.g. पर्यटन

(iii) Mode 3 - इसमें विदेशी निवेश को रखा गया है।

(iv) Mode 4 - इसमें मानव संसाधन को रखा जाता है।

→ विकसित देश Mode 3 सेवाओं का समर्थन करते हैं जबकि विकासशील देश Mode 4 सेवाओं का समर्थन करते हैं।

5. निवेश -

→ निवेश प्रोत्साहित करने के लिए WTO में TRIM (Trade Related Investment Measures) समझौता किया गया है जिसमें राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) का सिद्धान्त दिया गया है जिसके अनुसार -

“ घरेलु कम्पनी तथा विदेशी कम्पनी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ”

\* सौर ऊर्जा विवाद -

• 2010 में भारत के द्वारा 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन' की शुरुआत की गई।

• जिसमें 20000 MW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया  
वर्तमान में लक्ष्य को बढ़ाकर 100000 MW कर दिया गया। [100 जMW]

• घरेलु सौर ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा Domestic Content Requirement (DCR) का प्रावधान किया गया।

• जिसके तहत ऐसी कम्पनियों को एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट दी जाएगी जिन्होंने सोलर पैनल की खरीद भारत से की है।

• USA ने इस प्रावधान को WTO में चुनौती दी।

• USA के अनुसार यह WTO के TRIM समझौते में दिए गए राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धान्त का उल्लंघन करता है।

• 2016 में इसका फैसला (WTO का) भारत के विरुद्ध आया।

# Dumping - यदि कोई देश उत्पादन लागत से कम दाम पर वस्तुओं को अन्य देशों में बेचता है तो इस प्रक्रिया को Dumping कहा जाता है।

→ Dumping को रोकने के लिए Anti-Dumping Duty लगाई जा सकती है।

→ विश्व में सर्वाधिक Dumping के मामले चीन के विरुद्ध हैं।

→ सब्सिडी के प्रभाव को रोकने के लिए Counter Vailing Duty (CVD) लगाई जाती है।

→ भारत की 6 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को WTO में चुनौती दी गई है।

(i) Merchandise Export from India Scheme

(ii) Special Economic Zone Scheme

(iii) Export Promotion Capital Goods Scheme

(iv) Export Oriented Unit Scheme

(v) Electronic Hardware Technology park Scheme

(vi) Duty free Import for Export Scheme

→ USA के अनुसार विकासशील देश होने के कारण भारत को 2015 तक विशेष छूट मिल रही थी पर वर्तमान में यह छूट समाप्त हो चुकी है इसलिए भारत को इन योजनाओं को समाप्त करना चाहिए अन्यथा भारतीय उत्पादों पर CVD लगाई जाएगी।

# Sanitary and Phyto-sanitary Measures -

→ इस समझौते के तहत ऐसे खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिबन्धित किया जा सकता है जिसके उपयोग से आयात करने वाले देश के लोगों, पशुओं व पर्यावरण को नुकसान

हो सकता है।

e.g. भारत के अल्फांसो आम को यूरोप में प्रतिबन्धित किया गया है।

e.g. भारत की 600 जैनेरिक दवाइयों को प्रतिबन्धित किया गया है।

### # Technical Barrier to Trade (TBT) -

इसके तहत गैर-खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

### # Special Safeguard Mechanism - [SSM]

- यदि किसी देश में कृषि आयात अत्यधिक बढ़ जाए जिससे कि. घरेलू किसानों को नुकसान हो रहा हो तब ऐसे कृषि आयातों को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- WTO के नैरोबी सम्मेलन में इसे सैद्धान्तिक मान्यता दी गई परन्तु इसे लागू नहीं किया गया।

### # Most Favoured Nation -

- इस सिद्धान्त के तहत WTO के सदस्य अन्य देशों को MFN का दर्जा दे सकते हैं।
- यदि कोई व्यापारिक सुविधा किसी एक MFN दर्जा प्राप्त देश को दी जाती है, तो वह व्यापारिक सुविधा स्वतः ही अन्य MFN दर्जा प्राप्त देशों को भी मिल जाती है।
- 1996 में भारत के द्वारा पाकिस्तान को MFN दर्जा दिया गया यद्यपि पाकिस्तान ने यह दर्जा अभी तक भारत को नहीं दिया है।
- क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते इस सिद्धान्त के अपवाद हैं।



→ WTO में 6 क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को मान्यता दी गई है।

- (i) Preferential Trade Agreement (PTA)
- (ii) Free Trade Agreement (FTA) → in Goods
- (iii) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
- (iv) Custom Union
- (v) Common Market
- (vi) Economic Union

(i) PTA - जिन देशों के बीच यह समझौता किया जाता है उन्हें अन्य देशों के मुकाबले आयात शुल्क में वरीयता दी जाती है।

(ii) FTA - वस्तुओं के क्षेत्र में आयात शुल्क को शून्य कर दिया जाता है।

\* Negative/Sensitive list - इस सूची में वे वस्तुएँ रखी जाती हैं जिन्हें FTA में शामिल नहीं किया जाता -

\* Rule of Origin - इसके तहत FTA का लाभ सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को दिया जाएगा जिसका कम से कम 35% भाग FTA सदस्य देश में उत्पादित हो।

यदि यह नियम अत्यधिक कठोर हो तो इसे गैर प्रशुल्क बाधा कहा जाता है।

(iii) CEPA - वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में मुक्त व्यापार को लागू कर दिया जाता है।

(iv) Custom Union - सदस्य देशों के द्वारा एकसमान कस्टम नीतियाँ अपनाई जाती हैं।

(v) Common Market - वस्तु, सेवा, निवेश व मानव संसाधन का मुक्त प्रवाह सदस्य देशों के बीच होता है।

(vi) Economic Union - एकसमान मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं।

### # वाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) -

→ इस सम्मेलन में व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement / TFA) किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कस्टम नियमों का सरलीकरण तथा कस्टम आधारभूत ढाँचे को सशक्त बनाना था।

→ कस्टम नियम एक प्रकार की गैर-प्रशुल्क बाधा हैं।

→ भारत इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया।

→ वाली सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को भी चुनौती दी गई।

→ इस कार्यक्रम के तहत भारत की 67% जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है तथा सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया जाता है।

→ यह अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

→ इसके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करती है।

→ न्यूनतम समर्थन मूल्य Ambedkar box की सब्सिडी है।

→ इस कार्यक्रम से एग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर में Ambedkar box की सीमा का उल्लंघन होता है।

→ भारत का प्रत्युत्तर था कि -

“नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना विकासशील देशों का उत्तरदायित्व है। यह कार्यक्रम बाजार विकृत करने के लिए नहीं है अतः एग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर में संसोधन किया जाना चाहिए।”

→ WTO की तरफ से भारत को 5 वर्ष की छूट दी गई इसे Peace Clause कहा जाता है।

→ 2014 में NDA की सरकार बनी जिसने TFA पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तथा पहले खाद्य सुरक्षा के मामले को हल करने की माँग की गई।

- इस मामले को Public Stockholding Issue ( लोक भंडारण का मामला ) भी कहा जाता है।
- 2014 में USA व भारत के बीच एक समझौता हुआ जिसमें Peace Clause को तब तक बढ़ा देने के लिए सहमति बनी जब तक खाद्य सुरक्षा के मामले को हल नहीं किया जाता।
- नैरोबी सम्मेलन में Peace Clause को बढ़ा दिया गया।

### # ब्यूनस आयर्स सम्मेलन ( Dec. 2011 )

- यह सम्मेलन असफल हो चुका है जिसके निम्नलिखित कारण हैं -
- ① विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के मामले का हल चाहते थे परन्तु विकसित देश इससे सहमत नहीं थे।
- ② विकसित देश कुछ नए मुद्दों पर चर्चा चाहते थे जैसे → ई-कॉमर्स, Investment Facilitation ( निवेश सुविधा ), मत्स्य सब्सिडी जबकि विकासशील देश नए मुद्दों पर चर्चा करने से पहले दोहा दौर के मुद्दों का हल चाहते थे।
- ③ विकसित देशों का आरोप था कि विकासशील देशों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भारत व चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है, इसे बन्द किया जाना चाहिए।

- यदि 90 दिन<sup>तक</sup> किसी ऋण का ब्याज अथवा मूलधन न चुकाया जाए, तब ऐसे ऋणों को NPA ( गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ ) कहा जाता है।
- NPA होने के 12 महीने बाद परिसंपत्ति को Sub-standard Asset ( घटिया ) कहा जाता है।
- इसके 12 माह बाद परिसंपत्ति को Doubtful Asset कहा जाता है।
- इसके अगले 12 माह बाद परिसंपत्ति को Loss कहा जाता है।
- वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में NPA लगातार बढ़ रहे हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA, निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले अधिक है।
- कृषि ऋण के लिए यदि मूलधन अथवा ब्याज अल्पकालिक फसलों के लिए दो फसल चक्र तक नहीं चुकाया जाता है तथा दीर्घकालिक फसलों के लिए एक फसल चक्र तक ब्याज अथवा मूलधन नहीं चुकाया जाता, तब ऐसे ऋणों को NPA कहा जाता है।

### NPA के प्रभाव -

- ① इससे बैंकों का घाटा बढ़ सकता है
- ② बैंकों की ऋण क्षमता कम होगी
- ③ कुछ परिस्थितियों में बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं।
- ④ अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है
- ⑤ निवेश प्रभावित होता है
- ⑥ लोगों का बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास कम होगा जिससे कि वित्तीय समावेशन का कार्य प्रभावित हो सकता है।

### कारण -

- ① वर्ष 2000-10 तक भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि हुई। इस काल में बैंकों के द्वारा सरल शर्तों पर ऋण दिए गए।
- ② 2007-08 में विश्व में आर्थिक मंदी आई जिसके कारण कई

कम्पनियाँ घाटे में चली गई।

③ कम्पनियों के बीच मूल्य युद्ध शुरू हुआ जिसके कारण कई कम्पनियाँ बन्द हो गई।

④ न्यायिक सक्रियता तथा पर्यावरणीय सक्रियता के कारण भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ।

e.g. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2J के लाइसेंस Cancel करना तथा लौह अयस्क के खनन पर प्रतिबन्ध लगाना

⑤ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार का हस्तक्षेप अधिक रहा जिसके कारण अधिक जोखिम वाली कम्पनियों को भी ऋण दिए गए।

⑥ कुछ लोगों के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में घोटाले किए गए नीरव मोदी

e.g.

⑦ बैंकों के द्वारा NPA का आकलन जानबूझकर कम किया गया

⑧ कुछ लोगों के द्वारा क्षमता होते हुए भी ऋण नहीं चुकाया गया ऐसे लोगों को Willful Defaulter कहा जाता है।

NPA की समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयास -

→ समस्या को हल करने के लिए आर्थिक समीक्षा में पर समाधान दिया गया -

- |   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| ① | Recognition      | (मान्यता)       |
| ② | Resolution       | (समाधान)        |
| ③ | Recapitalization | (पुनः पूँजीकरण) |
| ④ | Reform           | (सुधार)         |

① Recognition -

## (i) Special Mention Account (SMA) - Framework -

\* इसके तहत ऋणों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया -

(a) SMA-0 - वे ऋण जहाँ भुगतान 1-30 days तक नहीं हुआ है।

(b) SMA-1 - वे ऋण जहाँ भुगतान 31-60 days तक नहीं हुआ है।

(c) SMA-2 - वे ऋण जहाँ भुगतान 61-90 days तक नहीं हुआ है।

\* सभी SMA ऋणों की सूचना/रिपोर्ट RBI को देना अनिवार्य है।

## (ii) Asset Quality Review -

\* इसके तहत परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का परीक्षण स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा करवाया गया जिससे कि NPA की समस्या का सही आकलन किया जा सके।

## (iii) Prompt Corrective Action (त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही) -

\* इसके तहत RBI के द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही की जाती है जिनके NPA अधिक हैं।

देना बैंक की ऋण गतिविधियों को प्रतिबन्धित कर दिया गया।

\* इसके तहत ब्रांच विस्तारण को भी रोक़ा जा सकता है।

\* भर्तियों को रोक़ा जा सकता है।

\* हाल ही में 11 सरकारी बैंकों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई है।

## (iv) Willful Defaulers की पहचान की गई।

(v) Fugitive Economic Offenders Act -

- \* इसके तहत ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक का आर्थिक अपराध किया हो तथा देश छोड़कर भाग गए हों।
- \* अपराधियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है
- \* मामले को सुनने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा
- \* अपराधी की परिसंपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है।

(2) Resolution -

→ यह दो प्रकार से किया जाता है -

(i) Restructuring - (पुनःगठन)

- \* पूर्व में RBI के द्वारा SDR, S4A, 5/25 जैसी योजनाएँ चलाई गईं। वर्तमान में इन सभी योजनाओं को बन्द किया जा चुका है।
- \* Feb. 2018 में RBI के द्वारा एक Resolution Framework जारी किया गया।
- \* इसके तहत 100 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए बैंक की समाधान योजना बनानी होगी जिसमें ऋण अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ब्याज दर को कम किया जा सकता है तथा ऋण को हिस्सेदारी में बदला जा सकता है।
- \* इस समाधान योजना को पर एक स्वतंत्र एजेन्सी से सहमति होनी चाहिए।
- \* यदि ऋण 500 करोड़ से अधिक का है तो दो स्वतंत्र एजेन्सियों से सहमति लेनी होगी।
- \* यदि ऋण 2000 करोड़ से अधिक का है तो समाधान योजना को 6 महीने में लागू किया जाना चाहिए।

- \* यदि ऋण 2000 करोड़ से कम का है तो समाधान योजना दो वर्ष में लागू की जानी चाहिए।
- \* यदि समाधान योजना सफल नहीं रहती है तो Insolvency and Bankruptcy Code / दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।

## (ii) Recovery (वसूली) -

(a) 1993 में Debt Recovery Tribunals (DRT) की स्थापना की गई।

- ये ऋण वसूली की विशेष अदालतें हैं।
- ऐसी 29 DRT की स्थापना की गई है।

(b) 2002 में SARFAESI Act (Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act) लागू किया गया।

- इस कानून के तहत बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतीकरण कर सकता है तथा ऋण को Asset Reconstruction Company (ARC) को बेचा जा सकता है।
- ARC ऋण वसूली की विशेषीकृत एजेंसियाँ होती हैं।
- कम दाम पर ऋण खरीद लेती हैं।
- गिरवी रखी गई सम्पत्तियों को 60 दिन के नोटिस के बाद नीलाम किया जा सकता है।

(c) IBC (ऋण शोधन व दिवाला संहिता) -

(Insolvency and Bankruptcy Code)

- यदि किसी कम्पनी या व्यक्ति के द्वारा NPA किया जाता है तब उस कम्पनी या व्यक्ति के विरुद्ध इस कानून के तहत कार्यवाही की जाती है।



- कम्पनी के लिए अपील पहले National Company Law Tribunal में की जाती है तथा व्यक्ति के विरुद्ध अपील DRT में की जाती है।
- यह अपील त्रुटिदाता, कम्पनी के मालिक अथवा कर्मचारियों के द्वारा भी की जा सकती है।
- यदि किसी कम्पनी या व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है तब Insolvency Professional की नियुक्ति की जाती है। (IP)
- IP एक Resolution Plan बनाता है जिसके लिए समय सीमा 180 दिन है, कुछ विशिष्ट मामलों में, 270 दिन भी लिए जा सकते हैं। [अधिकतम]
- Resolution Plan के तहत कम्पनी का अधिग्रहण किया जा सकता है, विलय किया जा सकता है, प्रबन्धन में परिवर्तन किया जा सकता है और इसकी नीलामी की जा सकती है।
- Resolution Plan को Committee of Creditors के सामने रखा जाता है।
- यदि दो तिहाई मत इसे प्राप्त होते हैं तब इस Plan को लागू कर दिया जाता है अन्यथा नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
- IP, IP एजेन्सी से सम्बन्धित होते हैं।
- इन एजेन्सियों को अखिल भारतीय स्तर पर Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसका पहला Chairman M.S. Sahoo को नियुक्त किया गया।
- सभी प्रकार की वित्तीय सूचनाएँ एक जगह रखने के लिए Information Utility का गठन किया जाता है।
- पहली IU, National e-governance Services Pvt. Ltd. को बनाया गया है।
- वह कम्पनी जिसके द्वारा NPA किया गया है अथवा अयोग्य डायरेक्टर को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

• 4.5 लाख करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

(iii) Recapitalisation -

- पुनः पूंजीकरण से बैंकों की क्षमता बढ़ जाएगी
- 70000 करोड़ के पुनः पूंजीकरण की घोषणा की गई है
- हाल ही में 2.11 लाख करोड़ के पुनः पूंजीकरण की घोषणा की गई है।
- \* इसमें 18000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता से आएंगे :
- \* 1.35 लाख करोड़ के Bond जारी किए जाएंगे।
- \* 58000 करोड़ के Share बेचे जाएंगे।
- हाल ही में RBI और सरकार के बीच पुनः पूंजीकरण के मुद्दे पर विवाद हुआ।
- सरकार RBI से अतिरिक्त रिजर्व प्राप्त करना चाहती थी।
- इस मामले के लिए इस मुद्दे पर बिमल जालान के नेतृत्व में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया।

(iv) Reform -

→ सरकार के द्वारा बैंकों में सुधार के लिए इन्द्रधनुष योजना शुरू की गई जिसमें ये 7 कार्य किए जाते हैं -

- A - appointment
- B - Bank board bureau
- C - Capitalization
- D - De-stressing
- E - Empowerment
- F - Framework for accountability
- G - Governance

→ बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों का विलय किया जा रहा है  
e.g. SBI व उसके पाँच सहयोगी बैंकों का विलय किया गया  
e.g. देना बैंक, विजया बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ोदा का विलय  
किया जा रहा है

→ सरकार के द्वारा EASE (Enhanced Access and Service Excellence) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

- सभी लोगों को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाना विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग को, वित्तीय समावेशन कहलाता है।
- इसके तहत निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं-
  - ① सभी का बैंक खाता होना
  - ② ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना
  - ③ निवेश हेतु विकल्प उपलब्ध करवाना
  - ④ पेंशन सुविधा
  - ⑤ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना
  - ⑥ सभी की पहुँच में बैंक ब्रांच उपलब्ध करवाना

वित्तीय समावेशन के लाभ -

- ① सभी लोगों को बैंक खाता उपलब्ध होता है इससे Cash रखने की प्रवृत्ति कम होती है।
- ② बैंक के पास जमाएँ बढ़ती हैं जिससे कि अधिक साख का सृजन किया जा सकता है।
- ③ बचतों को निवेश में परिवर्तित किया जाता है
- ④ अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं।
- ⑤ व्यक्ति को निवेश के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होते हैं जिससे वह Ponzee योजनाओं में निवेश करने से बच जाता है।
- ⑥ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के लिए किए गए कार्य -

- ① PSD के नियमों को लागू किया गया
- ② 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया
- ③ इसी वर्ष Lead Bank Yojana शुरू की गई जिसके तहत प्रत्येक जिले की जिम्मेदारी एक बैंक को दी गई।

- ④ 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (RRB) की शुरुआत की गई
- ⑤ बैंक लाइसेंस के लिए 25% Branch ग्रामीण क्षेत्र में (बनाना) स्थापित करना अनिवार्य बनाया गया
- ⑥ प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई
- ⑦ अटल पेंशन योजना
- ⑧ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
- ⑨ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- ⑩ आयुष्मान भारत योजना
- ⑪ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- ⑫ भ्रामाशाह योजना
- ⑬ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- ⑭ सहकारी समितियों के माध्यम से दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाना
- ⑮ किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा
- ⑯ Small Bank तथा Payment Bank की स्थापना
- ⑰ वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूकता फैलाना तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना
- ⑱ C. रंगराजन तथा नचिकेता मोर समिति का गठन किया गया।
- ⑲ Business Correspondent की नियुक्ति
- ⑳ White Label ATM की सुविधा दी गई।

(I) कृषि -

- 1. भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति -
  - 1950 के दशक में GDP में कृषि का योगदान 50% से अधिक था परन्तु वर्तमान में यह घटकर लगभग 17.6% हो गया है परन्तु आज भी 50% से अधिक जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है।
  - इसलिए कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय  $\approx$  6426 ₹/month है [National Sample Survey Organisation (NSSO) - 2012-13]
  - प्रारम्भिक वर्षों में भारत में खाद्यान्न उत्पादन अत्यधिक कम था।
  - खाद्य आवश्यकताओं के लिए भारत आयातों पर निर्भर था।
  - वर्तमान में कृषि उत्पादन बढ़ा है
  - गत वर्ष यह 275 मिलियन मेट्रिक टन रहा जो कि भारत की खाद्य आवश्यकताओं से अधिक है परन्तु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता आज भी अत्यधिक कम है।
  - भारत में सर्वाधिक चावल व गेहूँ की फसलों का उत्पादन किया जाता है [  $\approx$  210 मिलियन मेट्रिक टन ]
  - दलहन व तिलहन के लिए भारत आज भी आयातों पर निर्भर है।
  - कृषि वृद्धि दर अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते हैं जिसके कारण एकसमान आय नहीं रह पाती

2. कृषि की समस्याएँ -

- ① कृषि में ज़ोंतों का आकार कम हो रहा है
  - 86% किसान लघु व सीमान्त [ 1 हेक्टेयर से कम ] श्रेणी में है। [ 1 मं व 2 म के बीच ]
  - जोंत का आकार कम होने से कृषि क्षेत्र में पूँजीगत निवेश नहीं हो पाता है।
  - कृषि दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं इसके कारण भूमि विवादों की (भूमि आलेख)

संख्या बढ़ी है जो कि निवेश को प्रभावित करती है।

② भारतीय कृषि सिंचाई के लिए मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है परन्तु मानसून अत्यधिक अनियमित होता है इसलिए भारत की कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है।

→ मात्र 34% कृषि क्षेत्र सिंचित है।

→ सिंचाई के 4 मुख्य स्रोत हैं -

(i) कुआँ

(ii) तालाब

(iii) नहर

(iv) नलकूप

→ समय के साथ नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई में वृद्धि हुई है।

→ नलकूपों से सिंचाई के कारण कृषि लागत बढ़ी है तथा भूमिगत जल का दोहन बढ़ा है।

→ नहरी क्षेत्र में वाष्पीकरण के कारण जल की हानि होती है तथा अधिक सिंचाई के कारण भूमि की लवणीयता व क्षारीयता बढ़ जाती है।

→ नहर की समय पर मरम्मत न होने से नहर के आसपास का क्षेत्र दलदली हो जाता है।

③ बीज की समस्या -

→ किसान बीज के लिए पुरानी फसलों पर निर्भर रहता है जिनकी गुणवत्ता तथा उत्पादकता अधिक नहीं होती है।

→ बाजार में प्रामाणिकृत बीजों का अभाव है।

→ GM फसलों (Genetically Modified) के बारे में भी विभिन्न प्रकार के विवाद उठाए गए।

④ उर्वरक -

→ उर्वरक के रूप में N, P तथा पौटाश की आवश्यकता होती है। तत्वों

→ इसका आदर्श अनुपात 4:2:1 होता है।

→ भारतीय सरकार द्वारा उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है जिसके कारण पौषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हो गया।

→ वर्तमान N:P:K अनुपात 6.7 : 4.2 : 1 है।

→ हरियाणा और पंजाब में स्थिति और भी खराब है

→ रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

→ उर्वरक समय पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं तथा बड़े स्तर पर कालाबाजारी (Black Marketing) की जाती है।

⑤ कृषि ऋण -

→ कृषि ऋण के मुख्य स्रोत मित्र, रिश्तेदार, साहूकार, सहकारी समिति तथा बैंक हैं।

→ आज भी 40% किसान अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर हैं।

→ अधिकतर कृषि ऋण अल्पकालिक है जिसके कारण कृषि में पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता।

→ कृषि ऋण का लाभ मुख्यतया बड़े किसानों द्वारा लिया जाता है।

→ खेती करने वाले व्यक्ति तथा भूमि के मालिक के बीच औपचारिक समझौता (land leasing) नहीं होता है जिसके कारण कृषि ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता

→ कृषि ऋणमाफी के कारण ऋण अनुशासन में कमी आ रही है।

⑥ बीमा/कृषि बीमा -

→ मात्र 30% किसानों के पास ही बीमा सुविधा उपलब्ध है।



- बीमा की प्रीमियम राशि अधिक होती है।
- सभी प्रकार के जोखमों को शामिल नहीं किया जाता।
- बीमा राशि के भुगतान में देरी की जाती है।

⑦ मशीनीकरण की समस्या -

- कृषि में मशीनों का अभाव है।
- भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि उपलब्ध है परन्तु भूमि केन्द्रित उपकरणों का विकास नहीं किया है।

⑧ कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का अभाव है।

- किसान सलाह के लिए मित्र या अन्य किसानों पर निर्भर रहता है।
- कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी नहीं किया जा रहा है।

⑨ कृषि विपणन की समस्या -

- सभी राज्य सरकारों पर Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) - Act पारित किए गए जिसके तहत कृषि उत्पाद को लाइसेंस धारक व्यापारियों को मण्डी में ही बेचा जा सकता है जिससे निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं -

- (i) परिवहन लागत बढ़ती है
- (ii) मण्डी में विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं
- (iii) मण्डी के व्यापारियों के द्वारा एक समूह का निर्माण कर लिया जाता है जिसके कारण नीलामी की प्रक्रिया उचित तरीके से नहीं हो पाती
- (iv) मण्डी में आधारभूत ढाँचे की कमी होती है -  
गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ तथा भण्डारण की व्यवस्था

e.g.

- (v) किसान तथा उपभोक्ता के बीच एक मध्यस्थों की शृंखला बन जाती है।
- (vi) उपभोक्ता के लिए उत्पाद महँगा हो जाता है तथा किसान को उचित दाम नहीं मिलते

## ⑪ खाद्य प्रसंस्करण -

- भारत में कृषि उत्पादों की अधिकतर प्राथमिक अवस्था में बेचा जाता है।
- खाद्य प्रसंस्करण का अभाव है क्योंकि इसमें निवेश अधिक होता है तथा विपणन और बाजार अध्ययन की भी आवश्यकता होती है।

## 3. समाधान -

- ① सामूहिक तथा सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाता है।
- ② भू आलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जिससे कि भूमि विवादों को कम किया जा सके।
- ③ केन्द्र सरकार के द्वारा Model Land Leasing Act बनाया हुआ है। साथ ही संविदा कृषि (Contract Farming) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ④ सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई।
  - \* इसमें पुरानी लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जाता है तथा पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाता है तथा जल के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए बूँद-बूँद सिंचाई तथा फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है।
  - \* इसके दो मुख्य घटक हैं -
    - (i) हर खेत को पानी
    - (ii) Per Drop more crop
- ⑤ राजस्थान सरकार ने बीज प्रमाणीकरण संस्था स्थापित की गई है जो कि प्रामाणिकृत बीजों को उपलब्ध करवाती है।
- ⑥ भूमि में पोषक तत्वों का सन्तुलन बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है जिसमें भूमि के परीक्षण के बाद किसान को पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है।

7) यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए नीम लैपित यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है।

8) कृषि ऋण हेतु वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

- \* सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है।
- \* वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

9) बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

- \* इसमें 50% बीमा कवरेज का लक्ष्य रखा गया है।
  - \* प्रीमियम दरों को सीमित कर दिया गया है।
- |                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| खरीफ फसल के लिए | ⇒ | 2%   |
| रबी " " "       | ⇒ | 1.5% |
| बागवानी " " "   | ⇒ | 5%   |

- \* बीमा भुगतान के लिए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

e.g. स्मार्ट फोन, सैटेलाइट तस्वीरें etc.

10) नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

- \* किसानों को वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध करवाने के लिए, DD किसान शुरू की गई है।

एक समर्पित चैनल

11) सरकार के द्वारा e-NAM (Electronic National Agriculture Market) योजना शुरू की गई है जिसके तहत 585 कृषि मंडियों को एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ा गया है

- \* कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन नीलामी की जा सकती है।

12) 22000 हाट बाजारों को JAM (ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट) में परिवर्तित किया जाएगा।

(13) खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना की शुरुआत की गई।

(14) <sup>पहली</sup> कृषि निर्यात नीति जारी की गई है।

### भूमि सुधार -

(1) जमींदारी उन्मूलन -

→ इसके तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया जिससे कि किसान और सरकार के बीच मध्यस्थों को दूर किया जा सके।

(2) Land Ceiling (हदबन्दी) -

→ इसके तहत एक किसान के अधीन अधिकतम भूमि की सीमा को निर्धारित कर दिया गया  
अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया जिससे कि भूमिहीनों में उसे बाँटा जा सके

(3) काश्तकारी सुधार (Tenancy Reform) -

→ इसके तहत काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

(4) चकबन्दी (Land Consolidation) -

→ इसके तहत भूमि का सामूहिकीकरण किया गया जिससे कि कृषि लागत को कम किया जा सके।

#### 4. हरित क्रांति -

- हरित क्रांति के माध्यम से भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।
- विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बॉरलॉग हैं।
- \* इनके द्वारा गेहूँ की उच्च उत्पादकता की किस्में तैयार की गई जिन्हें Dwarf Wheat (बौना गेहूँ) कहा जाता है।
- भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई।
- भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन हैं।
- मैक्सिको से उच्च उत्पादकता की किस्में मँगवाई गई तथा संकर बीज तैयार किया गया जिसे Sonar-67 कहा गया।
- सरकार के द्वारा ऋण, उर्वरक, सिंचाई सुविधा तथा MSP की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- हरित क्रांति के लिए पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP को चुना गया।

#### ① हरित क्रांति के लाभ -

- (i) भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।
- (ii) कृषि आयात कम हुए।
- (iii) किसानों की आय बढ़ी।
- (iv) कृषि का वैज्ञानिकीकरण हुआ।
- (v) कृषि का आधारभूत ढाँचा तैयार हुआ।
- (vi) कृषि में निवेश बढ़ा।
- (vii) सरकारी खरीद के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई।

#### ② नकारात्मक प्रभाव -

- (i) हरित क्रांति का लाभ सिर्फ पंजाब व हरियाणा के क्षेत्रों को ही मिला।
- (ii) पूर्वी भारत के किसान पिछड़ गए।

- (b) हरियाणा - पंजाब में भी हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को मिला, छोटे किसान पिछड़ गए।
- (ii) फसल चक्र में असन्तुलन उत्पन्न हुआ, सिर्फ गेहूँ व चावल पर अधिक ध्यान दिया गया, दलहन और तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा।
- (iii) कृषि की लागत बढ़ गई जिसके कारण किसानों पर ऋणभार बढ़ने लगा।
- (iv) प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हुआ, भूमिगत जल का स्तर गिर गया।
- (v) रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आई।

→ इन नकारात्मक प्रभाव के कारण सदाबहार हरित क्रांति की घोषणा की गई।

5. MSP (Minimum Support Price) -

→ वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं।

→ आर्थिक मामलात की कैबिनेट समिति द्वारा इसे जारी किया जाता है।

→ इसकी सिफारिश कृषि लागत व मूल्य आयोग [ Commission for Agriculture Cost and Prices / CACP ] के द्वारा की जाती है।

→ 23 फसलों के लिए जारी की जाती है।

\* 22 फसलों के लिए MSP [ 14 खरीफ , 6 रबी व 2 अन्य फसलें ]

\* गन्ने के लिए FRP (Fair and Remunerative Price)

उद्देश्य -

- (i) किसान को आय की सुरक्षा प्रदान करना
- (ii) सरकारी खरीद के माध्यम से नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके
- (iii) कृषि उत्पादों की कीमत को नियमित किया जा सकता है
- (iv) कृषि प्रारूप (Pattern) को प्रभावित किया जा सकता है
- \* कुछ फसलों को प्रोत्साहित तथा कुछ को दतोत्साहित किया जा सकता है।

MSP की गणना -

(1)  $A_2 = \text{Total cost of agriculture inputs}$

e.g. बीज, उर्वरक, मजदूरी

(2) इसमें पारिवारिक श्रम की लागत को शामिल किया जाता है

$$A_2 + FL = A_2 + \text{family labour}$$

(3)  $C_2 = A_2 + FL + \text{स्वयं की पूँजी पर चुकाया गया किराया}$   
*comprehensive cost (Rent paid on owned capital)*

e.g. स्वयं की मशीन, जमीन

→ MSP सदैव  $C_2$  से अधिक होती है  $MSP > C_2$


(4)  $C_3 = C_2 + 10\% \text{ of } C_2$

↓  
Managerial cost

→  $C_3$  की गणना की जाती है पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है।

बजट 2018-19 में MSP की लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली [ PDS ] -



- भारत में PDS की शुरुआत 1960 के दशक में हुई।
- 1997 में लक्षित PDS की शुरुआत की गई।
- 2013 में इसका सार्वभौमिकरण किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) पारित किया गया।

उद्देश्य -

- ① भारतीय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है विशेषकर गरीब व वंचित वर्ग को।
- ② खाद्य उत्पादन के असन्तुलन को दूर करता है, अधिक उत्पादन वाले राज्य से कम उत्पादन वाले राज्य में खाद्य उत्पाद को भेजा जाता है।
- ③ उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर खाद्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं।



④ बाजार में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति को नियमित किया जाता है।

⑤ MSP की व्यवस्था को लागू किया जाता है।  
[PDS के माध्यम से]

PDS की समस्याएँ -

- ① FCI के द्वारा खरीद समय पर नहीं की जाती है।
- ② FCI के पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहीं है।  
→ भण्डारण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
- ③ परिवहन के कारण FCI की लागत बढ़ जाती है।  
→ परिवहन में रिसाव (leakage) की समस्या भी देखी जाती है।
- ④ FCI के द्वारा खरीद, खरीद मूल्य पर की जाती है तथा राज्य सरकारों को अनानुचित Central Issue Price पर दिया जाता है।  
→ सेंट्रल इश्यु प्राइस का तथा खरीद मूल्य का अन्तर Food Subsidy होता है।  
→ केन्द्र सरकार के द्वारा यह सब्सिडी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती।
- ⑤ उचित मूल्य की दुकानों के बँटवारे में भ्रष्टाचार होता है।  
→ उचित मूल्य की दुकानों के बारे में जागरूकता का अभाव भी है।
- ⑥ राज्य सरकार के स्तर पर कालाबाजारी भी होती है।
- ⑦ लाभार्थियों की सूची में निष्कासन व समावेशन की त्रुटियाँ हैं।

समाधान -

- ① निष्कासन की त्रुटि को दूर करने के लिए लाभार्थियों का सार्वभौमिकरण कर दिया गया तथा NFSA पारित किया गया।

- ② प्रैत लाभार्थी तथा दौहरे लाभार्थी की समस्या को दूर करने के लिए आधार सत्यापन का प्रयोग किया गया।
- ③ राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
- ④ परिवहन लागत को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ⑤ लीकेज की समस्या को कम करने के लिए JPS Tracking का प्रयोग किया जा रहा है।
- ⑥ FCI में सुधार हेतु शान्ता कुमार समिति का गठन किया गया।

### सिफारिशें -

- (i) जो राज्य सरकारें खरीद में सक्षम हैं वहाँ विकेन्द्रीकृत खरीद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- (ii) FCI के द्वारा निजी भण्डारगृहों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (iii) भण्डारण हेतु अत्याधुनिक तकनीकों तथा वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (iv) बफर स्टॉक के लिए एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए इससे अतिरिक्त अनाज को स्वतः ही खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए।
- (v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में लाभार्थियों की संख्या कम करके 40% की जानी चाहिए।
- (vi) खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करानी चाहिए।

### 7. Direct Benefit Transfer (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण) -

- इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कराया जाता है।
- इसकी शुरुआत 1 Jan. 2013 को हुई।
- आधार कार्ड व प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद DBT को बढ़ावा मिला है।

### DBT के लाभ -

- ① मध्यस्थों की ज़ुखला को समाप्त किया जाता है।
- ② लाभ हस्तान्तरण में पारदर्शिता लाई जाती है।
- ③ प्रेत लाभार्थी तथा दौहरे लाभार्थी की समस्या को दूर किया जाता है।
- ④ लाभ का हस्तान्तरण समय पर किया जाता है।
- ⑤ भ्रष्टाचार कम हुआ है तथा जबाबदेहिता बढ़ती है।
- ⑥ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- ⑦ बाजार का विकृतीकरण दूर होता है और
- ⑧ लाभार्थी अपने स्तर पर वस्तुओं की खरीद कर सकता है।
- ⑨ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है।
- ⑩ सरकार का प्रशासनिक खर्च कम हो जाता है।

### चुनौतियाँ -

- ① वित्तीय समावेशन पूर्ण नहीं हुआ है।
- ② ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती।
- ③ लाभ प्राप्त करने में समस्याएँ आती हैं विशेषकर महिलाओं को
- ④ लाभ का निर्धारण करने में समस्या आती है।
- ⑤ लाभ को महँगाई से जोड़ा नहीं जाता है।
- ⑥ लाभ का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
- ⑦ लाभार्थी का चयन करने में समस्या आती है।

उद्योगों के प्रकार -

I. कुटीर उद्योग -

→ वे उद्योग जो कि पारिवारिक स्तर पर लगाए जाते हैं तथा इनमें पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया जाता है तथा पूँजी में निवेश कम होता है।

II. ग्राम उद्योग -

→ यह उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ जनसंख्या 10000 से कम हो तथा प्रति व्यक्ति पूँजीगत निवेश 15000 से कम होता है।

III. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME)

	Turn over
Micro	T.O. < 5 cr.
Small	5 < T.O. < 75 cr.
Medium	75 cr < T.O. < 250 cr.

→ इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME मंत्रालय का गठन किया गया है।

→ हाल ही में MSME को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ घोषणाएँ की गई हैं -

① 59 min. में एक करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा इसके लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया है -

[www.fsbloanin59min.in](http://www.fsbloanin59min.in)

② जो MSME, GST में पंजीकृत है उन्हें ब्याज में 2% की सब्सिडी दी जाएगी

③ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 25% खरीद MSME से करना अनिवार्य है।

इसमें 3% खरीद ऐसे उद्योगों से किया जाना चाहिए जो कि महिला उद्यमियों से संचालित हो।

(4) मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए Tool Rooms की स्थापना की जाएगी।

IV. वृहद् उद्योग -

→ जहाँ Turn Over 250 करोड़ से अधिक है।

औद्योगिक नीतियाँ -

→ अब तक 3 औद्योगिक नीतियाँ जारी की जा चुकी हैं।

I. → पहली औद्योगिक नीति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जारी की गई है।

→ भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया।

→ उद्योगों को 5 श्रेणियों में बाँटा गया -

(i) श्रेणी 'अ' -

इस क्षेत्र में कोई भी नए निजी निवेश की अनुमति नहीं थी।

\* भविष्य में सिर्फ सरकार इसमें निवेश कर सकती थी

(ii) श्रेणी 'ब' -

इसमें उन क्षेत्रों को रखा गया जो कि पूर्णरूप से सरकार के लिए आरक्षित थे।

(iii) श्रेणी 'स' -

इसमें सरकार तथा निजी दोनों प्रकार के निवेशों की अनुमति थी।

(iv) श्रेणी 'द' - निजी निवेश के लिए यह क्षेत्र खुले थे।

→ दूसरी औद्योगिक नीति -

\* 1956 में जारी की गई

\* जवाहरलाल नेहरू व P.C. महालनोबिस का विशेष प्रभाव था।

\* इसके माध्यम से दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) को लागू किया गया

- \* मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया  
 इसमें सरकारी क्षेत्रों [Public Sector] की ओर अधिक झुकाव था
- \* उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया -
- (i) श्रेणी 'अ' - इसमें वे क्षेत्र रखे गए जो पूर्णतः सरकार के लिए आरक्षित थे।
- \* इसमें कुल 17 औद्योगिक क्षेत्र थे

- (ii) श्रेणी 'ब' - इसमें वे क्षेत्र रखे गए जिसमें सरकार के साथ-2 निजी क्षेत्र के निवेश की भी अनुमति थी परन्तु निजी क्षेत्र के निवेश हेतु लाइसेंस की आवश्यकता थी
- निजी निवेश के लिए कौटा नीति भी लागू की गई
- कुल 12 क्षेत्र इसमें थे।

- (iii) श्रेणी 'स' - शेष बचे हुए उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया
- इसमें सिर्फ निजी निवेश की अनुमति थी यद्यपि लाइसेंस व कौटा की आवश्यकताओं को रखा गया।

- \* प्रभाव -
- (i) इस नीति के कारण सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व बढ़ा।
- (ii) बाजार में एकाधिकार स्थापित हो गया
- (iii) प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और सरकारी कम्पनियों की दक्षता भी अच्छी नहीं थी।
- (iv) सरकारी क्षेत्र एकमात्र रोजगार प्रदाता था इसके कारण रोजगार के अवसर कम थे अतः कृषि पर भार बढ़ा।
- (v) सरकारी कम्पनियों पर भी भार बढ़ने लगा जिसके कारण सरकारी कम्पनियाँ घाटे में जाने लगी।

- (vi) सरकारी कम्पनियों में राजनैतिक हस्तक्षेप भी अधिक था।
- (vii) निजी निवेश के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी जिसके कारण निजी निवेश हतोत्साहित हुआ।
- (viii) नौकरशाही सशक्त हुई तथा भ्रष्टाचार और लालफीताशाही बढ़ी।
- (ix) 1969 में Monopolies and Restrictive Trade Practices Act [MRTP] पारित किया गया जिसके माध्यम से कौटा नियमों को और कठोर कर दिया गया इससे उद्यमिता प्रभावित हुई।
- (x) FDI की अनुमति नहीं थी इसलिए विदेशी मुद्रा भण्डार अत्यधिक सीमित था।

→ 1991 के आर्थिक संकट के बाद में नई औद्योगिक नीति जारी की गई।

तीसरी औद्योगिक नीति -

- मनमोहन सिंह के द्वारा जारी की गई [IMF की मदद से]
- औद्योगिक श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया।
- 8 क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित रखे गए।
- जिसे वर्तमान में कम करके 3 (Atomic energy, Atomic mineral and railways) कर दिया गया है।

→ लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया।

→ पाँच संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है -

(i) Alcohol

(ii) Cigarette, Tobacco

(iii) Equipments of aircrafts (वायुयान के कलपुर्जे) तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ

(iv) औद्योगिक विस्फोटक

(v) खतरनाक रसायन (Hazardous)

- MRTP - Act को समाप्त करने की घोषणा की गई।
- निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया।
- सरकारी कम्पनियों के विनिवेश की घोषणा की गई।
- विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
- विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कानूनों को लचीला बनाया गया।
- विनिमय दर को बाजार आधारित बनाया गया।

### औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएँ -

- ① भूमि अधिग्रहण जटिल है।
- ② व्यापार करने की सुगमता कम है।
- ③ पूँजी की लागत अधिक है (high interest rate)
- ④ पूँजी बाजार सीमित है।
- ⑤ उद्योगों में तकनीक का प्रयोग अत्यधिक कम किया जाता है।
- ⑥ श्रम कानून जटिल है।
- ⑦ कुशल श्रमिकों का अभाव है।
- ⑧ उद्यमशीलता का अभाव है।
- ⑨ कमजोर आधारभूत ढाँचा
- ⑩ पर्यावरण के जटिल नियम
- ⑪ कम निर्यात
- ⑫ उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं तथा लागत अधिक है
- ⑬ न्यायिक सक्रियता
- ⑭ भ्रष्टाचार
- ⑮ कच्चे माल की अनुपलब्धता
- ⑯ नीतिगत स्थिरता की कमी
- ⑰ अनुसंधान पर कम खर्च
- ⑱ बौद्धिक सम्पदा के बारे में जागरूकता का अभाव
- ⑲ विदेशी निवेश की कमी
- ⑳ बैंकिंग क्षेत्र में NPA



## वित्तीय बाजार

- वित्तीय बाजार ऐसा प्लैटफॉर्म / ऐसा स्थान है जहाँ पर वित्त / धन से सम्बन्धित लेन - देन होते हैं।
- ऐसा व्यक्ति जिसे वित्त की आवश्यकता हो वह उधार लेने के लिए और ऐसा व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त धन उपलब्ध हो वह निवेश करने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं।
- समय के आधार पर वित्तीय बाजारों को दो भागों में बाँटा जा सकता है -
  - ① मुद्राबाजार - ऐसा वित्तीय बाजार जहाँ पर एक वर्ष से कम अवधि के लिए वित्तीय लेन - देन हो, मुद्रा बाजार कहलाता है।  
e.g. Money at call, Money at short notice, Treasury bill, Commercial paper etc.
  - ② पूँजी बाजार - ऐसा वित्तीय बाजार जहाँ पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वित्तीय लेन - देन हो, पूँजी बाजार कहलाता है।  
e.g. अंश (Share), ऋणपत्र (Debenture), Bond etc.

→ पूँजी बाजार दो प्रकार का होता है -

- (i) प्राथमिक बाजार - ऐसा पूँजी बाजार जहाँ पर नई प्रतिभूतियों का विक्रय होता है, प्राथमिक बाजार कहलाता है।
  - \* किसी प्रतिभूति के जीवनकाल का पहला विक्रय इस बाजार में होता है।
  - \* इस बाजार का कोई निश्चित स्थान होना आवश्यक नहीं है।

e.g. IPO (Initial Public Offer)  
FPO (Further / follow on Public Offer)

- (ii) द्वितीयक बाजार - प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों का पुनः विक्रय जिस बाजार में होता है, द्वितीयक बाजार कहलाता है।

→ इस बाजार का सामान्यतः निश्चित स्थान होता है।

e.g. BSE, NSE

कम्पनी - व्यावसायिक संस्था का सबसे बड़ा प्रारूप कम्पनी कहलाता है।

\* इसका जन्म कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण द्वारा होता है।

अंश -

\* कम्पनी की कुल पूँजी में स्वामियों द्वारा लगाई गई पूँजी, अंशपूँजी कहलाती है।

\* अंशपूँजी को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है।

\* एक भाग एक अंश कहलाता है।

→ प्रत्येक अंशधारी कम्पनी का मालिक/सदस्य कहलाता है।

→ प्रत्येक अंशधारी कम्पनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जिसे लाभांश कहा जाता है।

अंशों के प्रकार - अंश दो प्रकार के होते हैं -

(i) पूर्वाधिकार / अधिमान (Preference) अंश -

• ऐसा अंशधारी जिसे निम्न दो पूर्वाधिकार प्राप्त हो, पूर्वाधिकार अंश कहलाता है -

(a) कम्पनी के जीवनकाल के दौरान / चालू व्यवसाय के दौरान समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्ति का अधिकार

(b) कम्पनी के समापन के समय समता अंशधारियों से पहले पूँजी वापसी का अधिकार

पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएँ -

1. लाभांश की दर पूर्व निर्धारित
2. पूँजी वापसी की राशि पूर्व निर्धारित
3. पूँजी वापसी का समय पूर्व निर्धारित

★ भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों की अधिकतम आयु 20 वर्ष हो सकती है।

4. अंशधारियों की सभा में निर्णय लेने के लिए मतदान का अधिकार नहीं है।

(ii) समता अंश / सामान्य अंश (Equity / General) -

\* ऐसा अंश जिसे उपरोक्त दो पूर्वाधिकार नहीं मिलते, समता अंश कहलाता है।

विशेषताएँ -

1. मतदान की शक्ति / निर्णय शक्ति -  
इन्हें कम्पनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है।

2. लाभांश की दर निर्धारित नहीं

3. पूँजी वापसी की राशि निर्धारित नहीं

4. जीवनकाल कम्पनी के समान -  
पूँजी वापसी केवल कम्पनी के समापन पर

5. कम्पनी की प्रगति में भागीदार

शेयर बाजार में निवेशकों के प्रकार -

① वास्तविक निवेशक -

→ इस प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः अपनी बचत को लम्बी अवधि के लिए निवेश करते हैं।

② व्यापारी / सट्टेबाज (Dealer / Trader / Speculator)

→ इस प्रकार के व्यक्ति बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए अल्पकालिक लैन-देन करते हैं।

→ सट्टेबाज दो प्रकृति के होते हैं -

(i) तेजड़िया ( Bull )

\* यह व्यक्ति हमेशा बाजार में तेजी की उम्मीद करता है ।

(ii) मन्दड़िया ( Bear )

\* यह बाजार में गिरावट की उम्मीद से व्यापार करता है ।

→ शेयर बाजार में लेन - देन करने के लिए तीन खातों का होना जरूरी है -

① बैंक खाता

② डीमैट ( Demat )

③ व्यापार खाता ( Trading A/c )

डीमैट खाता -

\* प्राचीन समय में अंश खरीदने पर कागज का प्रमाण - पत्र ( भौतिक स्वरूप ) जारी किया जाता था ।

\* अंशों के भौतिक स्वरूप को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदलना अर्भौतिकीकरण कहलाता है ।

\* जिस खाते में अंश डिजिटल स्वरूप में रखे जाते हैं , वह डीमैट खाता कहलाता है ।

\* डीमैट खाता डिपोजिटरी के पास खुलवाया जाता है ।

\* भारत में दो डिपोजिटरी कार्यरत हैं -

(a) NSDL ( National Security Depository Limited )

स्थापना - 1996

मुख्य संस्थापक - NSE

(b) CDSL ( Central Depository Services Limited )

स्थापना - 1998

मुख्य संस्थापक - BSE

व्यापार खाता -

\* यह खाता शेयर बाजार के मध्यस्थ जैसे ब्रोकर के यहाँ खुलवाया जाता है जिसे अंशों के लेन - देन हेतु बैंक खाते और डीमैट खाते के साथ उपयोग किया जाता है ।

शेयर बाजार में सौदों के प्रकार -

① Spot Trading -

- इस प्रकार के सौदों में अंश खरीदने का समझौता और वास्तविक लेन-देन दोनों एक ही समय पर किया जाता है।
- भारत में इसके लिए T+2 का नियम उपयोग में लिया जा रहा है।

② Forward Trading -

- यदि भविष्य में लेन-देन के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाए, वह फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहलाता है।
- यह समझौते स्टॉक एक्सचेंज के बाहर किए जा सकते हैं।
- इनका कोई मानक आकार निर्धारित नहीं होता।
- वास्तविक लेन-देन केवल निर्धारित तिथि पर ही किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा बाजार में यह काफी प्रचलित है।

③ Future Trading / वायदा बाजार -

- भविष्य में लेन-देन के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाता है।
- इनका एक मानक आकार होता है।
- यह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रय-विक्रय किए जाते हैं।
- वास्तविक लेन-देन निर्धारित तिथि या उससे पहले कभी भी किया जा सकता है।
- इसमें लाभ-हानि की गणना प्रतिदिन होती है जिसे Mark to Market कहा जाता है।

④ Option Trading -

- भविष्य में लेन-देन करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाता है लेकिन क्रेता के पास निर्धारित तिथि पर लेन-देन पूरा करने या ना करने का विकल्प होता है।

## # Short selling -

- बिना अंशों का धारक होते हुए भी उन्हें बेच देना short selling कहलाता है अर्थात् अंश कय करने से पहले उन्हें बेच देना short selling कहलाता है।

## # Arbitrage -

- Arbitrage का अर्थ है - जोखिम रहित लाभ
- एक ही अंश के अलग-अलग बाजारों में एक समय में अलग मूल्य होने पर मूल्य अन्तर का लाभ उठाना Arbitrage कहलाता है।

## # Mutual Fund -

- बहुत सारे निवेशक अपनी बचत जमा करके एक बड़ा कोष बनाते हैं जिसे विशेषज्ञ की सहायता से निवेश किया जाता है। fund → corpus
- निवेश पर होने वाली आय में से म्यूचल फंड संस्था के व्यय घटाने के बाद शेष आस का लाभांश के रूप में निवेशकों में बाँट दिया जाता है।
- म्यूचल फंड का निवेशक Unit holder कहलाता है।
- भारत में पहला म्यूचल फंड 1964 में UTI (Unit Trust of India) के नाम से आरम्भ हुआ जिसकी स्कीम US-64 में सरकार द्वारा लाभ की गारंटी दी गई।
- 2001 में UTI Scam हुआ।
- 1986 में SBI द्वारा म्यूचल फंड की स्थापना की गई थी।
- 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र को म्यूचल फंड चलाने की अनुमति मिली।

SIP (Systematic Investment Plan / क्रमबद्ध निवेश योजना) -

- लम्बी अवधि तक लगातार म्यूचल फंड में निवेश करना

ULIP (Unit linked Insurance Plan / यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना)

### # Angel Investor -

- यह व्यक्तिगत निवेशक होते हैं जो किसी की प्रतिभा पर विश्वास करके व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं।
- आयकर अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत प्राप्त राशि को Gift मानकर Angel Tax लगाया जा रहा है जिससे नए Start-up प्रारम्भ करने में कठिनाई बढ़ी है।

### # Venture Capital Fund -

- यह संस्थागत निवेशक होते हैं।
- किसी परियोजना का गहन विश्लेषण करने के बाद यदि उसकी लाभदायिकता से सन्तुष्ट हो तो व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए पूँजी (Seed Capital / Money) उपलब्ध कराते हैं।
- सामान्यतः यह अंशों में निवेश करके स्वामित्व में भागीदारी प्राप्त कर लेते हैं।

### # IPO (Initial Public Offer) -

- कम्पनी के जीवनकाल में पहली बार जनता को प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए आमन्त्रित करना IPO कहलाता है।

### # FPO (Further Public Offer) -

- IPO के बाद निवेशकों को प्रतिभूतियाँ जारी करने का आमन्त्रण FPO कहलाता है।

### # Underwriter -

- ऐसा व्यक्ति जो IPO या FPO के समय सारे शेयर बिकवाने और न बिकने पर स्वयं खरीदने की गारंटी लेता है, Underwriter कहलाता है।
- कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम अंशदान (अंशों की कम से कम बिक्री) न आने पर IPO / FPO को फेल मानकर सभी निवेशकों के पैसे लौटा दिए जाते हैं।

## # Hedge Fund -

- Hedge शब्द से अभिप्राय संभावित जोखिम / हानि से बचने के लिए किए गए सुरक्षा उपाय से हैं।
- यह म्यूचल फंड की तरह कार्य करते हैं।
- तुलनात्मक रूप से जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश करके अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं।
- Hedge Fund का SEBI के पास पंजीकरण अनिवार्य नहीं है अतः स्वतन्त्र रूप से / मनमाने तरीके से कार्य करते हैं जिसके कारण समय-समय पर इनकी आलोचना की जाती रही है।

## # HUNDI -

- प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन ले जाने के लिए बैंक के Cheque के समान निजी प्रतिज्ञापत्र का उपयोग किया जाता था, जिसे HUNDI कहते हैं।

## # Treasury Bill -

- यह मुद्रा बाजार की एक प्रतिभूति है।
- सरकार द्वारा अल्पकाल के लिए धन उधार लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- केवल केन्द्र सरकार इन्हें जारी कर सकती है।

e.g. T-91 (3 month), T-182 (6 month), T-364 (1 Year)

## # Debt Security -

- इन प्रतिभूतियों में निवेशक उधार के रूप में वित्त देता है और प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त करता है।

## # Debenture -

- कम्पनी द्वारा आम निवेशकों से उधार लेने पर ऋण का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसे ऋणपत्र कहते हैं।



→ ऋण की सभी शर्तें जैसे - ब्याज व दर, पूँजी वापसी, सुरक्षा आदि इस पर अंकित की जाती हैं।

### # Bond -

- सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी की गई Debt Security बॉन्ड कहलाती है।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं इसलिए इन्हें Gilt - EDGE भी कहते हैं।

### # निजी कम्पनी -

- कम्पनी बनाने के लिए कम से कम दो व अधिकतम दो सौ सदस्य आवश्यक होते हैं।
- यह कम्पनी आम निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए आमन्त्रित नहीं कर सकती।
- e.g. सौडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड

### # सार्वजनिक कम्पनी -

- कम से कम सात सदस्य, अधिकतम कोई सीमा नहीं
- यह कम्पनी अपनी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए आम निवेशकों को आमन्त्रित कर सकती है।
- e.g. रिलायंस लिमिटेड, टाटा Ltd.

### # सीमित कम्पनी - (Limited Company)

- इस प्रकार की कम्पनी में अंशधारियों का दायित्व अंशों के बकाया मूल्य तक सीमित होता है अर्थात् ऋणदाता की शक्तियाँ सीमित होती हैं।
- e.g. किंगफिशर

## # STOCK EXCHANGE

→ यह प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों के लिए बाजार का कार्य करता है। पुनः विक्रय

→ भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE के अतिरिक्त कई स्थानीय एक्सचेंज भी कार्यरत हैं।

### ① Bombay Stock Exchange (BSE) -

- \* इसकी स्थापना 1875 में हुई।
- \* यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है।
- \* यह विश्व के सबसे बड़े 5 एक्सचेंज में से एक है।
- \* 2005 में इसे कम्पनी का स्वरूप दे दिया गया।
- \* सौंदी की संख्या के आधार पर यह भारत में प्रथम स्थान पर आता है।
- \* कारोबार की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर आता है।
- \* बाजार पूँजीकरण की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर आता है।
- \* इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- \* इसका प्रमुख सूचकांक Sensex (Sensitive Index / संवेदी सूचकांक) के नाम से जाना जाता है।

### Sensex -

- बाजार पूँजीकरण के अनुसार 30 सबसे बड़ी कम्पनियों के बाजार मूल्य के भारित औसत के आधार पर यह सूचकांक ज्ञात किया जाता है।
- इन 30 कम्पनियों के अंशों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर Sensex में परिवर्तन किया जाता है।

बाजार पूँजीकरण = अंशों की संख्या x बाजार मूल्य  
(Market Capitalization)

BSE के अन्य सूचकांक -

- (i) BSE - 100
- (ii) BSE - 200 [ इसे Dollex भी कहा जाता है ]
- (iii) BANKEX - यह 12 बैंकों के अंशों का औसत है।

(iv) GREENEX - यह 20 Eco-friendly company का औसत है।

\* साधारण निवेशकों में BSE अधिक लोकप्रिय है।

② NSE (National Stock Exchange) -

\* NSE की स्थापना 1992 में की गई जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

\* कारोबार की दृष्टि से NSE भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।

• यह संस्थागत निवेशकों में लोकप्रिय है।

\* बाजार पूंजीकरण और सौंदों की संख्या में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है।

\* यह स्थापना के समय से पूर्णतः computerised था।

\* NSE का मुख्य सूचकांक NIFTY (National Index of Fifty) कहलाता है।

\* NIFTY सूचकांक ज्ञात करने का फॉर्मूला विदेशी कम्पनी S & P (Standard and Poor) द्वारा दिया गया।

\* NSE के 20% अंश Newyork Stock Exchange के पास है।

\* NIFTY में बाजार पूंजीकरण के अनुसार 50 टॉप कम्पनियों को शामिल किया जाता है।

NSE के अन्य सूचकांक -

(i) Junior NIFTY - यह शीर्ष 50 कम्पनियों को छोड़कर अगली 50 कम्पनियों का औसत है।

Newyork Stock Exchange -

\* मुख्यालय = न्यूयॉर्क

\* सबसे बड़ा Stock Exchange

12.

NASDAQ - [National Association of Security Dealers Automated Quotation]  
मुख्यालय = न्यूयॉर्क

\* विश्व का दूसरा सबसे बड़ा Stock Exchange

London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange - विश्व में तीसरे व चौथे स्थान पर

# Commodity Exchange -

→ शेयर बाजार की तरह वस्तु व्यापार के लिए Commodity Exchange की स्थापना की गई।

→ भारत में मुख्य कमीडिटी एक्सचेंज निम्नलिखित हैं -

① NMCE (National Multi Commodity Exchange) -

\* यह भारत का पहला कमीडिटी एक्सचेंज है जिसे 2002 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया।

② MCX (Multi Commodity Exchange) -

\* इसकी स्थापना 2003 में मुंबई में हुई।

\* यह भारत का सबसे बड़ा कमीडिटी एक्सचेंज है।

\* कुल वस्तु व्यापार का लगभग 70% इस बाजार में होता है।

③ ICEX (Indian Commodity Exchange) - 2009 में गुरुग्राम में

④ MCX-SX (Multi Commodity Exchange and Stock Exchange) -

\* यह भारत का एकमात्र एक्सचेंज है जहाँ पर वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों दोनों का व्यापार होता है।

\* 2013 में मुंबई में स्थापित हुआ।

# SEBI ( Security Exchange Board of India) -

- SEBI की स्थापना शेयर बाजार की नियामक संस्था के रूप में 1988 में की गई।
- 1992 में SEBI - अधिनियम पारित किया गया।
- SEBI से पहले शेयर बाजार का नियमन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता था।

SEBI के मुख्य कार्य -

- ① प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए स्वस्थ बाजार उपलब्ध कराना
- ② बाजार मध्यस्थों को लाइसेंस देना  
e.g. ब्रोकर, underwriters etc.
- ③ Credit Rating Agency की स्थापना करना
- ④ शेयर बाजार के लिए नियम बनाना
- ⑤ नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने की व्यवस्था करना
- ⑥ निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना
- ⑦ निवेशकों की शिक्षा के लिए प्रचार-प्रसार करना
- ⑧ स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकरण करना और उनके कार्यों की निगरानी करना
- ⑨ Insider Trading जैसी गतिविधियों को रोकना

# Forward Market Commission ( FMC) -

- इसे 1953 में वस्तु व्यापार की नियामक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था।
- कमजोर संस्थागत ढाँचा होने के कारण कुछ समय वित्त मंत्रालय द्वारा अपने अधीन रखने के बाद 2015 में SEBI में मिला दिया गया।

## # Book Building -

IPO और FPO के समय कम्पनी द्वारा अंशों का अधिकतम मूल्य जानने के लिए निवेशकों के बीच सर्वे की प्रक्रिया बुक बिल्डिंग कहलाती है।

## # Participatory Notes (P- Note) -

- P- Note एक ऐसी प्रतिभूति है जिसका मूल्य भारतीय कम्पनी के अंशों पर आधारित होता है।
- अंशों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होने पर P- Note का मूल्य भी प्रभावित होता है।
- इसे विदेशों में जारी किया जाता है।

## # Credit Rating Agency (CRA) -

- यह स्वतंत्र संस्था है जो किसी कम्पनी की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसकी ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर अपनी रिपोर्ट देता है।
  - कम्पनी की क्षमता के अनुसार कम्पनी को रेटिंग दी जाती है।
- e.g. A+, A, B+, B, C etc.
- ICRA, CRISIL प्रमुख CRA कम्पनियाँ हैं।

## NATIONAL INCOME

- भारत में 1949 में पहली <sup>बार</sup> राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया।
- पी.सी. महलनोबीस को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- \* 29 जून को प्रतिवर्ष इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
- \* इन्हें भारतीय सांख्यिकिक मामलों का जनक कहा जाता है।
- 1950 में कोलकाता में NSSO का प्रारम्भ किया गया -  
NSSO असंगठित क्षेत्र के आँकड़े उपलब्ध कराने का काम करता है।  
[ NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE ]
- 1951 में दिल्ली में CSO की स्थापना की गई [ CENTRAL STATISTICS OFFICE ] -  
इसका काम संगठित क्षेत्र जैसे - उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि के आँकड़े उपलब्ध कराना है।
- यह दोनों विभाग MOSPI के अधीन कार्य करते हैं [ MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION / सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ]
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियाँ प्रचलित हैं -
  1. उत्पादन विधि
  2. आय विधि
  3. व्यय विधि
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है।
- प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन विधि और सेवा क्षेत्र के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है।
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाजार मूल्य, आधार मूल्य, Factor मूल्य, Constant value (स्थिर मूल्य) का उपयोग किया जाता है।

## CONSTANT PRICE -

बाजार मूल्य में से 2011-12 से लेकर वर्तमान समय तक की मुद्रास्फीति घटाने के बाद शेष मूल्य स्थिर मूल्य कहलाता है।

### राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ -

D) सकल घरेलू उत्पाद [GDP] -

• एक वित्त वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा में सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है।

\* वित्त वर्ष = 1 अप्रैल से 31 मार्च

\* आर्थिक सीमा -

भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक का भाग भारत की आर्थिक सीमा कहलाता है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र - भारत की भौगोलिक सीमा से 200 nm (370 Km) तक का क्षेत्र भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है।

\* निवासी -

निवास स्थिति की गणना से संबंधित नियम आयकर अधिनियम की धारा - 6 के अन्तर्गत दिए गए हैं।

• सामान्यतः 182 दिन से अधिक भारत में रहने पर व्यक्ति भारत का निवासी माना जाता है।

• भारतीय कम्पनियाँ हमेशा निवासी मानी जाती हैं।

\* अन्तिम वस्तुएँ और सेवाएँ -

राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरे प्रभाव से बचने के लिए अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है।

• उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तु जिसमें और मूल्य संवर्धन सम्भव नहीं हो, अन्तिम वस्तु कहलाती है।

• मध्यस्थ वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता।



$$GDP_{MP} = GVA_{BP} + \text{Product Tax} - \text{Product Subsidy}$$

$$GVA_{BP} = GVA_{FC} + \text{Production Tax} - \text{Production Subsidy}$$

$$GVA_{FC} = \text{Rent} + \text{Interest} + \text{Wages} + \text{Profit}$$

Production Tax -

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाने वाले सभी कर प्रोडक्शन टैक्स कहलाते हैं।

e.g. भू-राजस्व, पंजीकरण आदि व Stamp Duty  
शुल्क

Product Tax -

उत्पादन पूरा होने के बाद निर्मित वस्तु पर लगाए जाने वाला कर Product Tax कहलाता है।

e.g. Excise Duty (पहले), GST (वर्तमान)

★ देश में GDP में होने वाला वार्षिक परिवर्तन देश की / अर्थव्यवस्था की विकास दर कहलाता है।

② शुद्ध घरेलु उत्पाद [ Net Domestic Product ]

$$NDP = GDP - \text{मूल्य ह्रास}$$

→ NDP का प्रयोग सामान्यतः आन्तरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक देश में मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि व दर अलग-अलग हो सकती है।

Que.	अन्तिम उत्पादन	
(i)	भारत में निवासी व नागरिक	200000
(ii)	भारत में अनिवासी नागरिक	50000
(iii)	भारत से बाहर रहने वाला नागरिक	50000
(iv)	विदेशी नागरिक विदेशी निवासी	100000
(v)	विदेशी नागरिक भारत निवासी	40000

Ans.

Que. Cost of Production of engine -

Labour + Capital + Profit + Rent	=	500000
Cost of car	=	800000
Production Tax	=	20000
Product Tax	=	30000
Production Subsidy	=	0
Product Subsidy	=	10000

(i)  $GVA_{FC} = 800000$

(ii)  $GVA_{BP} = 800000 + 20000 - 0 = 820000$

(iii)  $GDP_{MP} = 820000 + 30000 - 10000 = 840000$

② सकल राष्ट्रीय उत्पाद [GNP] -

एक वित्त वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP कहलाता है।

$$GNP = GDP \pm NFIFA \text{ [Net factor income from abroad]}$$

$$NFIFA = \begin{array}{l} \text{भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश} \\ \text{में उत्पादित वस्तुएँ} \end{array} - \begin{array}{l} \text{विदेशी नागरिकों द्वारा भारत} \\ \text{में उत्पादित वस्तुएँ} \end{array}$$

④ शुद्ध राष्ट्रीय आय [NNP] = GNP - Depreciation

$$NNP_{MP} = NNP_{FC} + \text{Indirect Tax} - \text{Subsidy}$$

$$\Rightarrow NNP_{FC} = NNP_{MP} - \text{Indirect Tax} + \text{Subsidy}$$

$NNP_{FC}$  को भारत में राष्ट्रीय आय माना जाता है।

GDP = ?  
GNP = ?

$$\text{Per Capita Income} = \frac{\text{NNP}_{\text{FC}}}{\text{Population}} = ?$$

## आर्थिक विकास

→ 1960 के दशक तक आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि को समान माना जाता था लेकिन 1960 से 1990 तक आर्थिक विकास के प्रति नए दृष्टिकोण का विकास हुआ।

### 1. आर्थिक संवृद्धि -

\* किसी देश की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक संवृद्धि कहलाता है।

इससे अभिप्राय राष्ट्रीय आय बढ़ना, उत्पादन बढ़ना आदि से है।

### 2. आर्थिक विकास -

\* देश की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक सुधार के साथ-साथ गुणात्मक सुधार होना आर्थिक विकास कहलाता है।

अर्थात् किसी देश की अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के साथ-साथ लोगों के जीवनस्तर में सुधार आर्थिक विकास कहलाता है।

\* यह आर्थिक संवृद्धि का लाभ जनता को प्राप्त होना दर्शाता है।

\* आर्थिक विकास के माप के लिए 1970 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने सूचकांक की खोज की।

\* UNO द्वारा UNDP के अन्तर्गत आर्थिक विकास के सन्दर्भ में मानव विकास रिपोर्ट (HDI) जारी की जाती है जिसमें आर्थिक विकास से सम्बन्धित सूचकांक जैसे- HDI, IHDI, MPI आदि दिए जाते हैं।

### HUMAN DEVELOPEMENT INDEX [ HDI ]

→ 1990 में UNO द्वारा HDR का प्रारम्भ किया गया।

→ इस रिपोर्ट के अन्तर्गत HDI की गणना की गणना के लिए निम्न 3 कारक प्रयोग में लाए जाते हैं -

1. स्वास्थ्य - इसके अन्तर्गत जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया जाता है। जन्म से 20 वर्ष को '0' और 83 वर्ष को '1' माना जाता है।

→ HDI में अधिकतम और न्यूनतम की प्रणाली उपयोग में ली जाती है जिसे गोल पोस्ट प्रणाली कहा जाता है।

2. शिक्षा - 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए शिक्षा के औसत वर्ष देखे जाते हैं।

0 वर्ष को '0' और 15 वर्ष को '1' माना जाता है।

\* स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा के संभावित वर्ष देखे जाते हैं।

0 वर्ष को '0' और 18 वर्ष को '1' माना जाता है।

3. जीवन स्तर - जीवन स्तर की गणना प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर कय शक्ति समता के आधार पर की जाती है।

कय शक्ति समता -

→ इस सिद्धान्त के अनुसार दो देशों की मुद्रा का परिवर्तन मूल्य मांग और पूर्ति पर आधारित होता है।

e.g.  $1 \$ = ₹ 60$

यह मूल्य दो देशों में कय शक्ति की समानता को प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि यह मर्यादा दर पर आधारित नहीं होता।

→ PPP सिद्धान्त के अनुसार किसी देश में यदि आवश्यक वस्तुएँ 100 रुपये में प्राप्त हो और वही वस्तुएँ दूसरे देश में 5 \$ में मिले तो दोनों देशों की PPP के आधार पर  $1 \$ = ₹ 20$  होगा जबकि विनिमय दर 60 रुपये है।

→ UNO द्वारा PPP सिद्धान्त पर आधारित Big Mac Index जारी किया जाता है जो कि मैकडोनाल्ड का एक बर्गर है।

→ World Bank द्वारा बर्गर के स्थान पर Basket of Essential Goods का प्रयोग किया जाता है

→ HDI के आधार पर देशों के विकास की व्याख्या →

- 0 - 0.499 ⇒ निम्न विकास  
 0.5 - 0.799 ⇒ मध्यम विकास  
 0.8 - 1 ⇒ उच्च विकास

### IHDI ( INEQUALITY ADJUSTED HDI ) -

- यह 2010 में शुरू किया गया
- यह देश में असमानता की स्थिति को दर्शाता है।
- HDI की तरह यह भी 3 कारकों पर आधारित है।
- इसका मूल्य हमेशा HDI से कम होता है।
- HDI और IHDI में अन्तर निकाला जाता है।
- कम अन्तर आने पर कम असमानता एवं अधिक अन्तर आने पर अधिक असमानता कही जाती है।

### GII ( GENDER INEQUALITY INDEX ) -

- यह भी 2010 में प्रारम्भ हुआ।
- यह पुरुष और महिलाओं में असमानता दर्शाता है।
- 0 से अनिप्राय पूर्ण समानता से है अर्थात् कम स्कोर महिलाओं के सशक्तिकरण दर्शाता है।
- यह निम्न कारकों के आधार पर निकाला जाता है -
  - 1) स्वास्थ्य - मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर etc.
  - 2) सशक्तिकरण - विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी, उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

### MDPI ( MULTI DIMENSIONAL POVERTY INDEX / MPI ) -

- 2010 में ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाया गया।
- कारक -
  - 1) स्वास्थ्य - शिशु मृत्यु दर
  - 2) शिक्षा - 25 वर्ष की उम्र वालों के लिए शिक्षा के वर्ष

\* अन्य के लिए विद्यालय में पंजीकरण

③ जीवन स्तर - पानी, बिजली, शौचालय, L.P.G. आदि से वंचित होना

GDI ( GENDER DEVELOPMENT INDEX ) -

→ इस सूचकांक के अन्तर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग HDI की गणना की जाती है ।

→ कारक -

- ① शिक्षा
- ② स्वास्थ्य
- ③ जीवन स्तर

→ इसे 1995 में प्रारम्भ किया गया था ।

→ 2010 में इसे बन्द करके GII जारी किया गया लेकिन 2014 में इसे पुनः प्रारम्भ कर दिया गया ।

GEM ( GENDER EMPOWERMENT INDEX ) -

→ यह भी 1995 में प्रारम्भ किया गया तथा 2010 में बन्द कर दिया गया

→ यह 3 कारकों के आधार पर महिलाओं का सशक्तिकरण दर्शाता है :-

- ① राजनैतिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी
- ② आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी
- ③ वित्तीय संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी

HPI - I ( Human Poverty Index - I ) -

→ विकासशील देशों में गरीबी का स्तर जानने के लिए इसे 1997 में जारी किया गया ।

→ 2010 में इसके स्थान पर MPI जारी किया गया ।

→ कारक -

- ① निरक्षर लोगों की संख्या
- ② 40 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
- ③ पेयजल से वंचित, सामान्य से कम भार के बच्चे, चिकित्सा सहायता के बिना

## HPI - II -

→ यह विकसित देशों में गरीबी की स्थिति बताता है।

→ इसे 1998 में प्रारम्भ किया गया।

→ कारक -

- ① रोजगार के लिए कार्यात्मक रूप से अशिक्षित लोगों की संख्या
- ② 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने वाले नागरिकों की संख्या
- ③ 12 महीने तक बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या
- ④ औसत आय से कम आय पाने वाले व्यक्ति

Human Development Index

Year

Created by

Factor



# ← POVERTY →

## आर्थिक विषमता

→ किसी अर्थव्यवस्था में गरीबी दो प्रकार की होती है -

- ① सापेक्ष गरीबी
- ② निरपेक्ष गरीबी

① सापेक्ष गरीबी -

\* इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है।


\* इस सिद्धान्त के अन्तर्गत दो व्यक्तियों की आय में अन्तर गरीबी माना जाता है।

\* सापेक्ष गरीबी मापने की विधियाँ -


1. लॉरेन्ज वक्र -

• इस सिद्धान्त के अनुसार यदि आय और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच  $45^\circ$  का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए तो देश में आय समान रूप से विभाजित होती है।

• यदि किसी देश की आय विभाजन रेखा इससे नीचे हो तो वह आर्थिक विषमता की परिस्थिति कहलाती है।



2. गिनी गुणांक -



- यह लॉरेन्ज वक्र को गणितीय रूप से प्रदर्शित करता है।
- इसमें गुणांक ज्ञात करने के लिए छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है।
- इसका मान सर्वदा 0 से 1 के बीच होता है।
- अगर गुणांक 0 हो तो वह पूर्णतः आर्थिक समानता को प्रदर्शित करता है।
- गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा उतनी असमानता मानी जाती है।

## ② निरपेक्ष गरीबी -

- इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सबसे पहले जीवन के लिए आधारभूत आवश्यकताएँ निर्धारित की जाती हैं।
- प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे यह आधारभूत सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो रही हों, वह गरीब माना जाता है।
- भारत में इसी सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।
- जनसंख्या को दो श्रेणियों में बाँटा जाता है -
  - (i) गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
  - (ii) गरीबी रेखा के ऊपर (APL)
- इस विधि को Head Count Method भी कहा जाता है।

## भारत में गरीबी का अनुमान -

- भारत में यह कार्य नीति आयोग [ योजना आयोग ] द्वारा किया जाता है।
- इसके लिए NSSO द्वारा संकलित आँकड़े काम में लिए जाते हैं।
- भारत में व्यक्तिगत गरीबी का मापन नहीं किया जाता बल्कि गरीबी एक परिवार के लिए देखी जाती है।

- गरीबी मापन के लिए परिवार एक इकाई के रूप में देखा जाता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं।
- भारत में प्राचीन समय से ही कैलोरी उपभोग को गरीबी का आधार माना गया।
- विश्व में अधिकतर आय के स्थान पर व्यय को गरीबी मापन का आधार माना जाता है।
- 1868 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक *Poverty and Unbritish Rule in India* में पहली बार गरीबी का मापन किया।
- इस पुस्तक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 16 व शहरी क्षेत्र में ₹ 35 से कम प्रतिवर्ष खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया।
- इसके बाद कांग्रेस द्वारा 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया।
- \* इन्होंने गरीबी के लिए 3 कारकों को आधार बनाया -
  1. कैलोरी → 2800 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
  2. कपड़ा → 30 गज कपड़ा
  3. मकान →  $10 \times 10 \text{ ft}^2$
- \* इसके अतिरिक्त खर्च के आधार पर भी गरीबी देखी गई -
 

ग्रामीण क्षेत्र के लिए - 15 ₹/month	} से कम खर्च
शहरी क्षेत्र के लिए - 20 ₹/month	
- 1944 में देश के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना।
- \* इसे *Bombay Plan* के नाम से भी जाना जाता है।
- 1962 में योजना आयोग ने एक कार्यदल का गठन किया → जिसके अनुसार
 

ग्रामीण क्षेत्र के लिए - 20 ₹/month	} प्रति व्यक्ति से कम खर्च
शहरी क्षेत्र के लिए - 25 ₹/month	

- 1971 में इन्दिरा गाँधी द्वारा वी. एम. दाण्डेकर तथा एन. रघु के नेतृत्व में कार्यदल का गठन किया जिन्होंने भारत में गरीबी मापने के लिए कैलोरी उपभोग का फॉर्मूला दिया।
- \* प्रतिदिन 2250 कैलोरी से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया।
  - \* इस समिति को गरीबी आकलन के लिए महत्वपूर्ण समिति माना जाता है।
  - \* समिति को गरीबी आकलन की सभी विधियों का विश्लेषण करके सर्वश्रेष्ठ विधि सुझाने का कार्य दिया गया।
  - \* सरकार द्वारा चलाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का अध्ययन करके असफलता का कारण ढूँढना
  - \* NSSO व National Accounting के आँकड़ों में से अधिक विश्वसनीय आँकड़े सुझाना
  - \* कमेटी द्वारा कैलोरी उपभोग के साथ-साथ अन्य पौषक तत्वों को आधार बनाया गया।
  - \* कमेटी द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया।
  - \* कमेटी द्वारा MRP व URP के मिश्रित उपयोग पर बल दिया गया।
  - \* ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बुनियादी आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया।
- |            |          |  |
|------------|----------|--|
| Rural Area | - 4800 ₹ | } प्रति परिवार से कम खर्च<br>प्रति माह |
| Urban Area | - 7050 ₹ |  |
- \* ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 32 और शहरी क्षेत्र में ₹ 57 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम खर्च को गरीबी का आधार माना गया।

#### MIXED RECALL PERIOD (MRP) -

- इस विधि के अन्तर्गत गरीबी के अनुमान के लिए एक परिवार द्वारा पिछले एक वर्ष में टिकाऊ वस्तुओं जैसे- कपड़े, जूते, शिक्षा आदि पर किया गया खर्च देखा जाता है।

### UNIFORM RECALL PERIOD (URP) -

- इस विधि में किसी परिवार द्वारा पिछले एक महीने में खाद्य पदार्थों पर किया गया व्यय देखा जाता है।

### गरीबी निवारण की Trickle Down Approach -

- इस अवधारणा के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन के लिए बुनियादी ढाँचे को विकसित करने पर बल दिया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि बुनियादी ढाँचे के विकास से उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहन बढ़ मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है।

### Direct Method (प्रत्यक्ष विधि) -

- इस विधि के अन्तर्गत सरकारी योजनाएँ इस प्रकार बनाई जाती हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से गरीब की मदद हो सके

e.g. सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा,

### सेन-भगवती Debate -

#### अमर्त्य सेन -

- \* यह भारतीय मूल के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।
- \* इन्हें 1998 में नोबल पुरस्कार दिया गया।
- \* यह हॉवर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
- \* इन्होंने *An uncertain glory of India and its contradiction* नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के लिए गरीबी उन्मूलन की प्रत्यक्ष विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया।
- \* इस पुस्तक के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विधि अधिक सफल है और इसका प्रभाव शीघ्र और व्यापक होता है।


#### भगवती -

- \* यह कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
- \* इन्होंने *Why growth matters* नामक पुस्तक लिखी जिसमें Trickle down approach को भारत के लिए सही बताया है।

\* विकास का गुजरात मॉडल इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

### Poverty Gap Concept -

- यह अवधारणा अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गई।
- इस अवधारणा के अनुसार BPL में आने वाले सभी व्यक्ति एकसमान गरीब नहीं होते।
- BPL परिवारों में गरीबी की गहनता के आधार पर कम और अधिक गरीब का अन्तर किया जाना चाहिए।
- सरकारी योजना बनाते समय इस अन्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- गरीबी के Gap (अन्तर) को मापने के लिए Poverty Gap Index का प्रयोग किया जाता है।



## बेरोजगारी

→ अर्थव्यवस्था की ऐसी परिस्थिति जिसमें कार्य करने के लिए सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिले, बेरोजगारी कहलाती है।

बेरोजगारी के प्रकार -

① संरचनात्मक बेरोजगारी -

→ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

e.g. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उद्योग या सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी

② चक्रीय बेरोजगारी -

→ अर्थव्यवस्था में यदि तेजी या मन्दी का चक्र आने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो तो वह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है।

③ घर्षणात्मक बेरोजगारी -

→ यदि एक व्यक्ति एक रोजगार प्राप्त करने के लिए पुराने रोजगार का त्याग कर दे तो नया रोजगार मिलने तक लगने वाला समय घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है।

④ छिपी हुई बेरोजगारी - [ Disguised / छद्म ]

→ यदि व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो कि वह कार्यरत है लेकिन वास्तविक रूप से उसका उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान न हो तो वह छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है।

e.g. दो व्यक्तियों द्वारा की जा सकने वाली कृषि में 7 व्यक्तियों वाले परिवार का कार्य करना

⑤ मौसमी बेरोजगारी -

→ विशेष मौसम में रोजगार न मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है।

e.g. Sugar, Ice, Woolen

⑥ तकनीकी बेरोजगारी -

→ तकनीकी परिवर्तन के कारण आने वाली बेरोजगारी

⑦ Underemployment -

→ योग्यता से कम स्तर का रोजगार मिलना Underemployment कहलाता है।



## E - COMMERCE

→ यदि व्यापारिक क्रियाएँ/गतिविधियाँ कम्प्यूटर, डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से की जाएँ तो यह ई-कॉमर्स कहलाता है।

e.g. ऑर्डर देना, भुगतान करना, सूचना देना etc.

→ ई-कॉमर्स के कारण पूरा विश्व एक बाजार की तरह कार्य करता है। लेन-देन की लागत कम होती है और ग्राहक के अधिकार मजबूत हो जाते हैं।

ई-कॉमर्स के मॉडल -

① बिजनेस टु बिजनेस (B2B) -

B. B.  
 whole sale store → website/App → Retail Store

e.g. Alibaba, Indiamart.com

② बिजनेस टु Customer (B2C) -

Customer ← Website/App ← Business

e.g. Amazon.com, Flipkart.com, Shapdeal.com

③ Consumer to Business (C2B)

Consumer → website/App → Business

e.g. Insurance, Banking etc.

④ Consumer to Consumer (C2C) -

Consumer ↔ website/app ↔ Consumer

e.g. OLX

## # INFLATION #

लगातार

→ किसी अर्थव्यवस्था में लगातार वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि या मुद्रा के मूल्य में लगातार होने वाली गिरावट मुद्रास्फीति कहलाती है।

→ मुद्रास्फीति ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है।

→ मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जाता है -

① माँग जनित मुद्रास्फीति - [Demand Pull Inflation]

\* यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की माँग अधिक हो जाए तो लगातार बढ़ती माँग के कारण वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं जिसे माँग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है।

माँग बढ़ने के कारण -

- i) जनसंख्या में वृद्धि
- ii) आय में असामान्य वृद्धि
- iii) कालाधन
- iv) विदेशी निवेश अधिक आना
- v) बैंक की ब्याज दर कम होना

② लागत जनित मुद्रास्फीति [Cost Push Inflation]

\* यदि वस्तु के उत्पादन कारकों की लागत बढ़ने के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ जाएं तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है।

\* लागत बढ़ने के कारण -

- i) कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि
- ii) मजदूरी/श्रम की लागतों में वृद्धि
- iii) ब्याज की दरों में वृद्धि

## # Core Inflation -

- \* यदि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा को छोड़कर बाकी वस्तुओं की कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति जात की जाए तो वह Core Inflation कहलाती है।
- \*  $\text{Core Inflation} = \text{Inflation} - \text{Inflation due to external factors}$
- \* केन्द्रीय बैंक द्वारा नीति-निर्माण के लिए इसी Inflation को ध्यान रखा जाता है।
- \* बाहरी कारक -
  - (i) फसल का नष्ट होना
  - (ii) कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

## # Growth Inflation -

- इसे Targetting Inflation भी कहते हैं।
- यह अर्थव्यवस्था की ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।  
व उत्पादन

## # Galloping Inflation -

- यदि मुद्रास्फीति बढ़ती हुई दर से फैले तो यह Galloping Inflation कहलाती है।
- इसे Runaway Inflation / Hyper Inflation भी कहते हैं।

## # Disinflation -

- ऐसी परिस्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ें लेकिन मुद्रास्फीति की दर कम हो, Disinflation कहलाती है।

## # Stagflation -

- ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों विद्यमान हों, Stagflation कहलाती है।
- ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी बढ़ती है और आय में लगातार कमी

होती है अर्थात् मुद्रास्फीति की दर ज्यादा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर कम हो, Stagflation कहलाता है।

e.g. यदि RBI inflation नियंत्रित करने के लिए ब्याज की दर बढ़ाती है तो इससे निवेश प्रभावित होता है और कम निवेश के कारण कम उत्पादन और कम रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

# Bottleneck Inflation - [ गत्यावरोध मुद्रास्फीति ] <sup>Double Balance Sheet Crisis</sup>

→ इसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है।  
 → गाँव के स्तर में परिवर्तन न होते हुए भी यदि आपूर्ति के स्तर में अचानक परिवर्तन आ जाए तो इस कारण बड़ी हुई महँगाई Bottleneck inflation कहलाती है।

शरीरी                      रोजगार  
 राष्ट्रीय आय            उत्पादन  
 GDP/GNP

# Inflationary Gap -

→ यदि सरकार की प्राप्तियों से अधिक सरकार का व्यय हो तो यह Inflationary Gap कहा जाता है।

Inflationary Gap = राजकोषीय घाटा

बैंक                      मौद्रिक नीति  
 Loan                    राजकोषीय घाटा  
 बचत                    विदेशी निवेश  
 वेतनभोगी            आयात-निर्यात  
 राजस्व                   Exchange Rate

# Deflationary Gap -

→ यदि सरकार के व्यय कम और प्राप्तियाँ अधिक हों तो वह Deflationary Gap कहलाता है।

Deflationary Gap = राजकोषीय अधिशेष

Direct/Indirect Tax

# Inflationary Spiral -

→ यदि इस परिस्थिति में ऐसा माना जाता है यदि कीमतें बढ़ेंगी तो तो उनके कारण वेतन में वृद्धि होगी और यदि वेतन बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि होगी।

# Skew Flation -

→ यदि सभी वस्तुओं में समान मूल्य वृद्धि न होकर वस्तुओं के विशेष समूह में मूल्य वृद्धि हो तो उसे तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं।

e.g. Protainflation

जैसे - पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं के मूल्य स्थिर होते हुए भी खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ना

### मुद्रास्फीति का मापन -

WPI (Whole Sale Price Index)

थोक विक्रय मूल्य सूचकांक

① यह सूचकांक उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

② WPI सामान्यतः 4 प्रकार से जारी किया जाता है -

(i) प्राथमिक वस्तुओं का WPI :-

इसमें कुल 117 वस्तुएँ शामिल की जाती हैं।

(ii) ईंधन का WPI :-

इसमें 16 वस्तुएँ शामिल की जाती हैं।

(iii) विनिर्मित वस्तुओं का WPI :-

इसमें TV, रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुएँ शामिल की जाती हैं।

(iv) मुख्य WPI -

इसमें 697 वस्तुएँ शामिल की जाती हैं।  
का थोक मूल्य

③ WPI की गणना में केवल वस्तुएँ ही शामिल की जाती हैं।

④ खाद्य पदार्थों को तुलनात्मक रूप से कम भार दिया जाता है {~20%}

⑤ सबसे अधिक भार विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है।

⑥ यह हर महीने की 15 तारीख को जारी किया जाता है।

CPI (Consumer Price Index)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

① इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

② MOSPI के अन्तर्गत यह कार्य CSO द्वारा किया जाता है।

③ मुख्यतः 3 प्रकार का CPI जारी किया जाता है :-

(i) ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI -

(ii) शहरी क्षेत्र के लिए CPI

(iii) ग्रामीण + शहरी क्षेत्रों का CPI

④ यह क्षेत्रीय रूप से जारी किया जाता है इसलिए सामान्यतः यह प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होता है।

⑤ इसकी गणना में वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। बुद्धमूल्य

⑥ इसमें तुलनात्मक रूप से खाद्य पदार्थों को अधिक भार दिया जाता है। {लगभग 60%}

⑦ इसका आधार वर्ष 2011-12 माना जाता है।

7) गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है।

8) 2014 तक यह देश का मुख्य सूचकांक माना जाता था।

9) RBI द्वारा मौद्रिक नीतियाँ बनाने के लिए इसी सूचकांक का प्रयोग किया जाता था।

8) 2014 से CPI को मुख्य सूचकांक माना जाता है।

9) यह हर महीने की 11 तारीख को जारी होता है।

10) सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आदि CPI के आधार पर निर्धारित की जाती है।

• WPI के स्थान पर CPI को मुख्य सूचकांक बनाने के कारण -

1) मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे अधिक अन्तिम उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

2) उपभोक्ता हमेशा वस्तुएँ उपभोक्ता मूल्य पर क़य करता है।

3) सामान्यतः व्यक्ति खाद्य पदार्थों पर तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय करता है।

उपरोक्त कारणों से CPI को मुख्य सूचकांक बना दिया गया।

1) CPI वस्तु व सेवा दोनों पर आधारित है जबकि WPI केवल वस्तुओं पर आधारित है और भारत की अर्थव्यवस्था में GDP का 50% से ज्यादा भाग सेवा क्षेत्र से आता है।

2) विकसित देशों द्वारा CPI को मुद्रास्फीति सूचकांक माना जाता है।

• मुद्रास्फीति के प्रभाव -

1) मुद्रास्फीति से बचतकर्ता को नुकसान होता है।

2) कम बचत के कारण कम निवेश होता है, कम निवेश से कम उत्पादन, कम उत्पादन से कम रोजगार उत्पन्न होता है।


3) मुद्रास्फीति के कारण गरीब सर्वाधिक प्रभावित होता है और आर्थिक विषमता बढ़ती है।

- ④ ब्याज की दरों में वृद्धि होती है।
- ⑤ मुद्रास्फीति के कारण राजकोषीय घाटों में वृद्धि होती है।
- ⑥ मुद्रास्फीति के कारण निर्यात कम और आयात ज्यादा होते हैं जिससे भुगतान असंतुलन उत्पन्न होता है।
- ⑦ इससे व्यापार घाटा बढ़ता है।
- ⑧ विदेशी निवेश की संभावनाएँ कम हो जाती हैं।

### # फिलिप वक्र -

→ यह अवधारणा J.W. फिलिप द्वारा दी गई जिसके अनुसार यदि मुद्रास्फीति [ महँगाई ] बढ़ती है तो इसके कारण बेरोजगारी कम हो जाती है और मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है।

→ अर्थात् मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में नकारात्मक सम्बन्ध होता है।



→ इस अवधारणा की आलोचना की गई और कहा गया कि यह सम्बन्ध केवल अल्पकाल तक ही रहता है।

### # GDP Deflator -

$$\text{GDP Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}}$$

$$\text{where Nominal GDP} = \text{GDP}$$

$$\text{Real GDP} = \text{GDP}_{CP}$$

e.g. Nominal GDP = GDP<sub>MP</sub> = 250

(-) Inflation starting from = 150  
Base year

$$GDP_{CP} = \frac{100}{100} \rightarrow \text{Real GDP}$$

$$GDP \text{ Deflator} = \frac{250}{100} = 2.5$$

### # Base Effect -

Base Year (2011-12)	वस्तुओं की कीमत = 1000	कीमतों में वृद्धि	Inflation Rate	Base Effect
2015-16	में वस्तुओं की कीमत = 1200	200	$\frac{200}{1000} \times 100 = 20\%$	$\frac{200}{1000} \times 100 = 20\%$
2016-17	" " " " = 1400	200	$\frac{200}{1200} \times 100 = 16\%$	$\frac{400}{1000} \times 100 = 40\%$
2017-18	" " " " = 1600	200	$\frac{200}{1400} \times 100 = 14\%$	$\frac{600}{1000} \times 100 = 60\%$

→ मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्षों की तुलना में ज्ञात की जाती है जो मूल्य प्रभाव के कारण घटती हुई नजर आती है जबकि वास्तविक रूप से आधार वर्ष से तुलना करने पर महंगाई दर में वृद्धि होती है, जिसे Base Effect कहा जाता है।

### # मुद्रा स्फीति के कारण -

- 1) उत्पादन कारकों की लागत में वृद्धि
- 2) वस्तुओं की माँग में वृद्धि
- 3) वस्तुओं की आपूर्ति अवरुद्ध होना
- 4) राजस्व घाटा होना



- ⑤ रोजगार / वेतन में वृद्धि
- ⑥ विदेशी निवेश की अधिकता

## FOREIGN EXCHANGE RESERVE

- किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उस देश का विदेशी मुद्रा भण्डार कहलाता है।
- भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार RBI द्वारा रखा जाता है जिसमें निम्न कारक शामिल हैं -
  - ① विदेशी मुद्रा
  - ② सोना
  - ③ SDR ( Special Drawing Rights )
  - ④ Reserve Tranche
- लाभ -
  - ① आयातों का भुगतान करने में सहायता
  - ② बाहरी ऋण दायित्व के भुगतान में सहायक
  - ③ अचानक होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव कम [ 2008 की मन्दी ]
  - ④ घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि
  - ⑤ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की साख में सुधार

